लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
P-25
Acc. No. 19
15-1-63

3rd Lok Sabha

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . . १७२१–२६

(१) आसाम और नेफा में चीनी जासूसों के जाल बिछे होने का कथित समाचार

(२) डा० गोपाल पर किया गया कथित आक्रमण

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७२६

तीसरे परमाणु बिजलीघर के स्थान के बारे में वक्तव्य . . १७२६–२७

श्री दिनेश सिंह

युद्ध–विराम क बारे में १७२८–३१

विधेयक पुरस्थापित—

(१) दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण विधेयक, १९६२ . . १७३०

(२) व्यक्तिगत-घाव (आपात कालीन उपबंध) विधेयक, और . १७३०–३१

(३) भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक . . १७३१

परिसीमन आयोग विधेयक १७३१–७०

विचार करने का प्रस्ताव

श्री प्रभात कार १७३१–३२

श्री प्र० के० देव १७३२

श्री च० का० भट्टाचार्य १७३२–३३

श्री श्रीनारायण दास . . . १७३३–४४

श्री हेम राज १७३५

श्री बड़े १७३५–३६

श्री करूथिरमण १७३६–३७

श्री भक्त दर्शन १७३७–३८

श्री रा० प्र० सिंह १७३८–४०

श्री ह० च० सौय १७४०–४१

श्री बालकृष्णन १७४१

श्री विभूति मिश्र १७४१–४३

श्री दे० शि० पाटिल . . . १७४३–४४

श्री काशीराम गुप्त १७४४–४५

श्री बालकृष्ण वासनिक १७४५

लोक-सभा

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९६२

१२ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

आसाम और नेफा में चीनी जासूसों के जाल बिछे होने का कथित समाचार

†श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : नियम १९७ के अधीन मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

"आसाम और नेफा में कथित चीनी जासूसों के जाल बिछा होना"

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्रीमन् २८ नवम्बर के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित कथित चीनी गुप्तचरों के बिछे हुए जाल के बारे में समाचार की पूरी तरह से जांच की जा रही है। मुझे बताया गया है कि जिसका कि कोई भी चीनी एजेन्ट रंगापाड़ा क्षेत्र में गिरफ्तार नहीं किया गया था तथा ट्रांसिसराइन्ड संचार उपकरण वहां नहीं मिला है। यह सच है कि एक चीनी शरणार्थी ने बोमडीला में चाय की एक दुकान खोल रखी थी। यहां पर नेफा अधिकारियों ने उसको कुछ समय के लिये बसा लिया था परन्तु १९६१ में उसको इस स्थान से हटा दिया गया था। सरकार गुप्तचरों के कार्यकलापों के खतरे से सावधान है और इनका नियन्त्रण करने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता समझती है।

यह ठीक है कि आसाम में तथा पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों के बहुत से चीनी गिरफ्तार हुए हैं और उनको देश से निकालने के लिये हटाया जा रहा है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि गुप्तचरों आदि के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : २८ नवम्बर को 'टाइम्स आफ इंडिया' में बताया गया था कि कोई भी देश दूसरे देश में गुप्तचरों की कार्यवाही अपने नागरिकों के द्वारा नहीं करा सकता है। संभव है चीनियों ने तिब्बती शरणार्थियों में अपने एजेन्ट शामिल कर दिये हों। ये एजेंट इस प्रकार भारत में आ गये हों। यह भी कहा गया है कि कुछ भारतीय भी यह काम कर रहे हों।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे गुप्तचरों तथा सुरक्षा कार्यों, जिनमें हमें अब तक असफलता मिली है, को कठोर बनाया गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे ऐसे व्यक्तियों को पकड़ लिया जाये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : 'टाइस आफ इंडिया' ने एक आम बात कह दी है। किसी भी देश तथा क्षेत्र के बारे में ऐसा आसानी से कहा जा सकता है। संभवतया चीन में भी भारतीय गुप्तचरों का होना मान लिया जाये। मैं बताना चाहता हूं कि यह सब ठीक नहीं है परन्तु हमें सावधान और जागरूक रहना है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या भारत में विभिन्न अक्रमों में नियुक्त तिब्बती शरणार्थी के गुप्तचर नहीं हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तिब्बती शरणार्थी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं।

श्री बागड़ी (हिसार) : चीनी जो गिरफ्तार हुए हैं क्या उन से इस किस्म की इनक्वारी की गई है कि उनका हिन्दुस्तानियों से कोई लिंक था या उन्होंने लिंक पैदा किया जिसकी कि बिना पर वह हिन्दुस्तान में चीन के हक में और हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रचार कर सके और काम कर सके और अगर कोई नतीजा निकला है तो ऐसे हिन्दुस्तानियों के खिलाफ क्या सख्त ऐक्शन लिया गया है या लिया जाने वाला है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कोई हिन्दुस्तानी ऐसा गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं ने तो कहा है कि चीनी गिरफ्तार हुए हैं...

श्री बागड़ी। मैं ने.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार हुए हैं उन से कोई ऐसी इत्तिला मिली है कि हमारे हिन्दुस्तानी भी उन को कोई मदद दे रहे थे और अगर ऐसी इत्तला मिली है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ऐसी इत्तिला नहीं मिली है और न शायद वह यह कहने को तैयार होंगे कि वहां उन की मदद करते रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हाल में ही शिलांग तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में जलपानगृह तथा चाय दुकानें बड़ी संख्या में खुल गई हैं। क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि यह होटल तथा जलपानगृह चीनी गुप्तचरों के केन्द्र हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने कार्यवाही की है अब वह जलपानगृह तथा चाय की दूकानें हटा दी गयी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसकी जांच कर ली है कि इन स्थानों में से किसी स्थान पर चीनियों द्वारा गुप्तचरों की कार्यवाही होती थी।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : चाय आदि की दुकानों में।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : जी हां।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझाता हूं कि ऐसा नहीं होता था। परन्तु आसाम में लगभग १,१०० चीनी गिरफ्तार किए गए हैं और इसलिये इन दूकानों में जो भी गलत काम होता तो वह बन्द हो गया होता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि हाल में ही एक चीनी गुप्तचर को ब्रह्मपुत्र नदी के पुल का फोटो लेते हुए गोहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसको स्थानीय मजिस्ट्रेट ने केवल १००० रुपये की जमानत पर छोड़ दिया और इस चीनी की जमानत एक स्थानीय भारतीय ने दी—क्या यह भी सच है कि वह तब से लापता है और यदि हां, तो इन गुप्तचरों को आसाम और नेफा से हटाने के संबंध में ही नहीं अपितु आसाम और नेफा के संदेहास्पद अधिकारियों तथा नागरिकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है। परन्तु मैं ब्यौरे देखना चाहूंगा क्योंकि इसका जिक्र सभा में हो चुका था इसलिये मैंने जांच की और यह पाया कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है और इस कारण अधिकारियों के बारे में कुछ भी कहना न्यायोचित नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तब सच बात क्या है ? हमें बतानी चाहिये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे ब्यौरे याद नहीं हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कल बता दीजिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु यह जरूरी तो नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस सत्र में।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : चीनियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नेफा के कठिन रास्तों का उन्हें पता था इसलिये क्या यह सच नहीं है कि चीनियों ने वहां पर अपने गुप्तचरों के कई अड्डे बना लिये थे और चीनी लड़कियों ने भारतीय आदिमजातियों से विवाह कर लिये थे और यदि हां, तो क्या भारतीय आदिमजातियों की यह चीनी पत्नियां तिब्बती शरणार्थियों के साथ आसाम के मैदानी इलाके में आ गई थीं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : प्रश्न के अन्तिम भाग से मैं सहमत हूं। हम सावधान रहेंगे और

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि गिरफ्तार हुए चाइनीज की तादाद कितनी है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या हिस्ट्री में कोई भी मिसाल ऐसी है कि दुश्मन पन्द्रह हजार फीट की ऊंची पहाड़ियों को लांघ कर तीन दिन में ८५ मील आगे आ गया हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब, यह बतायें कि गिरफ्तार हुए चीनियों की तादाद कितनी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : उनकी तादाद आसाम में ११०० और करीब ६३६ वैस्ट बंगाल में है ।

डा० गोपाल पर किया गया कथित आक्रमण

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

> "परराष्ट्र मंत्रालय में इतिहास विभाग के निर्देशक, डा० एस० गोपाल, पर उल्लिखित हमला ।"

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर-लाल नेहरू) : कल जब कि हमारी तरफ से हमारी मिनिस्टर, श्रीमती लक्ष्मी मेनन, और डा० गोपाल सिंगापुर से मद्रास जा रहे थे, तो हवाई जहाज पर यह वाकया हुआ। डा० गोपाल के पीछे की सीट पर बिहारी लाल नाम का एक शख्स बैठा हुआ था, जो सुरावाया में जूनियर क्लर्क था। वह वहां से अलग किये गये थे, क्योंकि उन की निस्बत कुछ शिकायतें हुई थीं कि वह ठीक काम नहीं करते हैं। जहां तक मालूम हुआ है, उन्होंने एक कांटे से कुछ हमला किया और डा० गोपाल को चेहरे और कंधे पर कुछ थोड़ी सी चोट लगी। मद्रास पहुंच कर उन को गिरफ्तार कर लिया गया और डा० गोपाल अस्पताल ले जाए गए। मालूम होता है कि चोट खतरनाक नहीं है । उन को थोड़ी सी चोट लगी है और वह अपने प्रोग्राम को पूरा करेंगे। आज वह और श्रीमती लक्ष्मी मेनन कोलम्बो जा रहे हैं।

जैसा कि मैं ने कहा है, यह बिहारी लाल, जिन्होंने यह हमला किया, वहां से हटाए गए थे, बुलाए गए थे, क्योंकि उन की कार्यवाही ठीक नहीं मालूम हुई। उन की निस्बत मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि चार बरस हुए, वह तेहरान की हमारी एम्बैसी में क्लर्क थे और उन्होंने, उस वक्त वहां पर हमारे जो एम्बैसेडर थे, श्री बदरूद्दीन तैयबजी, उन पर हमला किया था । उन्होंने किसी हथियार से हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया था, एसाल्ट किया था। वह वापिस बुला लिए गए थे और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था और उन की तन्खवाह वगैरह का बढ़ना, इजाफा, रोक दिया गया था । उस वक्त कुछ शक हुआ था कि उन के दिमाग में खलल है, वह मेन्टली अनबैलेन्स्ड हैं। वह यहां पर, हैडक्वारटर्ज में, उसी क्लार्क की हैसियत से दो तीन बरस रखे गये थे और इस साल की जनवरी में वह सुरावाया भेजे गये थे । अब वह वहां से बुलाए गए थे, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने ठीक काम नहीं किया । कुछ शिकायतें थीं, शायद, लेकिन मालूम यही होता है कि उन के दिमाग में कुछ फितूर है । मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसी बात हुई, खासकर

हमारे हिस्टारिकल डिविजन के डायरेक्टर, डा० गोपाल, के साथ, जो कि हमारे प्रेसीडेंट साहब के लड़के हैं। और तो कोई खास बात में इस वक्त नहीं कह सकता। गालिबन उन पर मुकदमा चलेगा और जो कुछ भी मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायेगी ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, में यह जानना चाहता हूं कि जिस क्लार्क ने डा० गोपाल पर हमला किया, क्या उस को उन से यह शिकायत थी कि चाइना के प्रति उन का व्यवहार अमैत्रीपूर्ण है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस की तफसील नहीं आई है कि उन पर किस बात पर हमला हुआ। लेकिन कुछ उन की बातें हुई और बातों में—उस वक्त लंच का वक्त था। शायद छुरी-कांटे उन के सामने रखे हुए थे और वे लोग शायद खाना खा रहे थे—कांटे से उन पर हमला किया गया । वह शख्स शायद उन के पीछे बैठा था।

श्री मोहन स्वरूप : (पीलीभीत) : प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा है कि उस का दिमाग खराब था। में यह जानना चाहता हूं कि इस किस्म के आदमी को काम करने का दोबारा क्यों दिया गया ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : चार बरस हुए, जब कि तेहरान में वह वाकया हुआ था। वह यहां लाए गए। मुझे तफसील याद नहीं है, लेकिन गालिबन उस वक्त उन्होंने सफाई पेश की और माफी मांगी। यह समझा गया कि वह छोटे ओहदे पर हैं और उन को मौका दिया गया। लेकिन यह जाहिर है कि उन को मौका देने का कोई खास फायदा नहीं हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): प्रधान मंत्री जी ने फरमाया कि उस शख्स के दिमाग में फितूर था। में यह जानना चाहता हूं कि आखिर उस को अपनी नौकरी से हटाया क्यों नहीं गया था। क्या उस के खिलाफ कोई शिकायत थी? क्या ऐसा तो नहीं था कि वह हिन्दुस्तान के खिलाफ काम कर रहा था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : में ने अर्ज किया है कि वह जकार्ता में हमारी एम्बैसी में नहीं थे। वह सुरावाया में हमारे कान्सुलेट में काम करते थे । वहां से शिकायतें आईं कि काम वगैरह ठीक नहीं होता है । तफसील हमारे पास इस वक्त नहीं है—हम एकदम से नहीं ला सके हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि शुरु नम्बर में उनकी शिकायतें हमारे पास आई थीं। १० नवम्बर को एम्बैसेडर ने लिखा था। हम ने कुछ दिन बाद उन को लिखा था कि उन को वापिस कर दिया जाये और वह इस वक्त वापिस आ रहे थे ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : में यह जानना चाहता हूं कि डा० गोपाल को जो जानी नुक्सान हुआ है, उस का किस तरह से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा ?

[कोई उत्तर नहीं दिया गया]

श्री बड़े (खारगोन) : पेपर में यह आया है कि उस व्यक्ति ने यह कह कर डा० गोपाल पर हमला किया कि "यू आर एन्टी-कम्यूनिस्ट" और यह कि बिहारी लाल पहले से प्रो-कम्यूनिस्ट था और जकर्ता से उस के बारे में रिपोर्ट आ गई थी। में यह जानना चाहता हूं कि क्या ये बातें सच हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तेहरान में ऐसा कोई सवाल नहीं था। तेहरान में उन्होंने श्री तैयबजी पर हमला किया था, लेकिन वहां तो यह सवाल नहीं उठता था।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस में छपी ये बातें सच हैं कि ऐरोप्लेन में बिहारी लाल ने डा० गोपाल पर यह कह कर हमला किया कि तुम एन्टी-कम्यूनिस्ट हो और वह खुद- प्रो-कम्यूनिस्ट था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें बातचीत के ब्यौरे मालूम नहीं हैं। संभव है उसने ऐसा कुछ कहा हो।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : ऐसा मालूम होता है कि यह बिहारी लाल गुण्डा तो नहीं था। क्या यह सच है कि वह कुछ गोपनीय मामले चीनियों को ट्रासमिट कर रहा था? क्योंकि उसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वह थे "कि 'तुम चीन के मित्र नहीं हो"।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। माननीय सदस्य को याद रखना चाहिए कि मैं ने क्या कहा है। वह हमारे दूतावास में नहीं थे। वह सुराबाया के वाणिज्यिक कार्यालय में थे। वाणिज्यिक कार्यालय में सामान्यतः गोपनीय मामले नहीं होते हैं परन्तु मामले की जांच की जानी चाहिए।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा ८ नवम्बर, १९६२ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखत विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६२।

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२।

तीसर परमाणु बिजली घर के स्थान के बार में वक्तव्य

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : श्रीमान्, अणुशक्ति विभाग ने अगस्त, १९६१ में एक समिति नियुक्त की थी जो तीसरी तथा चौथी योजनावधि में बनने वाले तापीय बिजलीघर के लिए उपयुक्त स्थान चुनें। समिति के सभापति केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन श्री एम० हयात थे तथा उसके सदस्य, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के जल विद्युत् सदस्य तथा अणुशक्ति स्थापना, ट्राम्बे के वरिष्ठ वैज्ञानिक टैक्नीकल अधिकारी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के निर्देश पद निम्नलिखित थे :

(१) दिल्ली-पंजाब राजस्थान-उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कांडू प्रकार का २०० मैगावाट के तापीय बिजलीघर के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव ।

वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि बाद में उस स्थान पर २०० मैगावाट का दूसरा एकक भी स्थापित हो सके ।

(२) शेष भारत में लगभग ६ अन्य तीपीय बिजलीघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव । जिससे तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में और तापीय बिजलीघर बनाने के स्थान की सूची तैयार की जाये और आवश्यकतानुसार उसका फायदा उठाया जाये । इनमें से एक स्थान दक्षिण भारत, विशेषतया मद्रास में होना चाहिए । इन स्थानों को उपयुक्तता के अनुसार क्रम से रक्खा जाना चाहिये ।

समिति ने दो रिपोर्ट पेश की हैं। पहली निर्देश पद के सम्बन्ध में हैं तथा दूसरी दक्षिण भारत में स्थानों की सिफारिश के सम्बन्ध में है । समिति ने क्रमानुसार दिल्ली-पंजाब-राजस्थान-उत्तर प्रदेश में निम्न दो स्थानों को चुना है :—

१. राजस्थान में कोटा के निकट राना प्रताप सागर

२. उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के गंगाबास

इसकी घोषणा हो चुकी है कि सरकार ने अगला तापीय बिजलीघर राना प्रताप सागर के निकट बनाने का चुनाव कर लिया है । समिति ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित स्थानों का क्रमानुसार चुनाव किया है :—

(१) मद्रास में महाबलिपुरम् के निकट कलपक्कम

(२) मद्रास में होगानक्कल के निकट बिल्लीगुंडलू

(३) आंध्र प्रदेश के श्री सेलम के निकट सोमासिला

(४) मैसूर में मेकाडाटू के निकट संगम

बिल्लीगुंडलू तथा संगम ही दो स्थान हैं जहां पर उनकी स्थापना हो सकती है क्योंकि होगानक्कल तथा/अथवा मेकाडाटू में जल विद्युत् योजनायें पहले ही लागू हैं और सोमासिला लागू हो रही श्री सैलम की जल-विद्युत् योजना पर आश्रित हैं ।

जल योजनाओं के निकट तापीय बिजली केन्द्र की स्थापना उचित जिससे जल परियोजनाओं से आवश्यक सहायता मिल जाये क्योंकि मानसून के मौसम में बाढ़ के पानी का उपयोग उत्पादन क्षमता के लिए किया जा सके। इससे उपलब्ध जल विद्युत् का उपयोग हो सके और कभी कभी जो बिजली संकट आ जाता है वह न आने पाये और उद्योगों थ्व हानि न हो ।

सम्बन्धित राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया है कि वह बतायें कि तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक कार्य करने को वह तैयार हैं।

तीसरे तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिए कोई निर्णय नहीं किया गया है परन्तु निर्णय लेने के बाद उसको मद्रास राज्य में महाबलीपुरम् के निकट कलपक्कम में स्थापित करने का विचार है। इस स्थान की स्थान चुनाव समिति ने सब से पहले सिफारिश की है ।

युद्ध विराम के बारे में

†**श्रीहेम बरुआ** (गोहांटी) : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। चीन ने अपने प्रस्ताव के बारे जो स्पष्टीकरण दिये हैं वे अस्पष्ट हैं। यह रंगून में श्रीमती मैनन के वक्तव्य से पता चला। उसके बाद प्रधान मंत्री ने कांग्रेस दल की चीनी प्रस्तावों के बारे में बताया। किसी अन्य को बताने से पहले संसद को बताना चाहिये। बाद में अन्य किसी को बताना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य को यह गलत सूचना मिली कि मैंने कोई जानकारी कांग्रेस दल को दी।

†**श्री हेम बरुआ** : समाचार-पत्रों में था।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मुझे खेद है मैंने इसके संबंध में यह मामला कैसे चल रहा था इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताया। इसके बाद जो पत्र प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई से मिला और जो मैंने उत्तर भेजा वे प्रकाशित कर दिये गये थे और उनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कहता। उन्होंने काहिरा या अन्य स्थानों से पता नहीं किन सन्देशों का जिक्र किया है। सन्देश लगातार आ रहे हैं; संभवत: वे अफवाहें आदि हैं। वे ठीक नहीं हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जब मेरे पास कोई विशेष जानकारी होती है तो मुझे पहले संसद को बताना चाहिये। मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया है.... (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। तीन चार सदस्यों को इकट्ठे नहीं बोलना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने सब पत्र-व्यवहार पढ़ लिया है। इन पत्रों के प्रकाशन से पहले रंगून में श्रीमती मैनन ने वक्तव्य दिया था कि चीनियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अस्पष्ट थे। यह बात माननीय प्रधान मंत्री को कहनी चाहिय थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल इतना कहने से कि प्रस्ताव अस्पष्ट हैं कोई लाभ नहीं। प्रधान मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि नीति के संबंध में वक्तव्य पहले सदन में दिया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या मैं प्रधान मंत्री को चीनी सेनाओं के तथाकथित पीछे हटने के बारे में वक्तव्य देने के लिये प्रार्थना कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर कई सूचनायें आई थीं, वे मैंने प्रधान मंत्री को भेज दी हैं। प्रधान मंत्री जी जब और जितनी सूचना देनी चाहें, उन पर निर्भर ह। हमें प्रधान मंत्री जी को मजबूर नहीं करना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उनके पास कोई जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो सूचनाएं आपने भेजी हैं, वे मुझे भी मिली हैं। परन्तु स्थिति अस्पष्ट है। अत: मुझे बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य देना आसान नहीं। स्पष्टत: चीनी फौजें कुछ तो पीछे हटीं हैं। पिछले क्षेत्रों में पीछे हटने, ट्रकों के पीछे हटने के कुछ चिन्ह नजर आये हैं आगे से चीनी फौजों की संख्या कम हुई होगी, परन्तु ये हटे नहीं हैं। शायद माननीय सदस्य ने इस बारे में समाचार पढ़ें होंगे कि चीनियों ने बौमडीला में परसों कुछ जख्मी कैदी भारतीय रैडक्रास को देने की पेशकश की है। अत: वे तब तक बौमडीला में रहेंगे। चीनी पिछले क्षेत्र में कुछ पीछे

---

†मूल अंग्रेजी में

हटे हैं । यह जानना कठिन है कि कितने चीनी पीछे हटे हैं विभिन्न स्थानों में ऐसा हो रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** ऐसे समाचार मिले हैं कि चीनी नेफा में स्थानीय लोगों से मिलजुल रहे हैं । अतः यह संभव है कि वे नेफा में पीछे हट कर कुछ "कम्युनिस्टमैन" पीछे छोड़ जायें । क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई कर रही है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : कुछ प्रश्नों के उत्तरों से देश को निश्चय ही हानि पहुंचती है। अतः प्रधान मंत्री को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक सदस्य देशप्रेमी है। परन्तु इस बात का निर्णयन करना है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं। प्रधान मंत्री जी ने पहले ही उस....

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : कई सदस्यों को कुछ विषयों पर जानकारी चाहिये होगी। मेरा सुझाव है कि हमें जिन बातों की जानकारी चाहिये होगी वे आपको भेज देंगे और प्रधान मंत्री जी पर्याप्त समय के बाद उन बातों में से जिन पर उचित समझें जानकारी दे दें।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ऐसे पहले ही कर रहा हूं । माननीय सदस्य ऐसे मामलों के संबंध में मुझे लिख सकते हैं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है....

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था की क्या बात है ?

श्री राम सेवक यादव : यह चीज पहले प्रेस को दे दी गई। लोक-सभा बैठ रही है इसलिये इसकी इत्तला पहले उसको दी जानी चाहिये थी, लेकिन वह अखबारों को दे दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था की चीज नहीं है कि दूसरी कंट्रीज से प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात करें और वह अखबार में आ जाये । उसको क्यों अखबार में दिया गया, इसमें कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा निवेदन सुन लीजिये । अभी आपने कहा कि जो नीतियों के प्रश्न हैं वह पहले लोक सभा में आने चाहियें, और इसमें नीति का ही प्रश्न है पिछले दिन जब प्रधान मंत्री महोदय ने इस सदन के अन्दर बयान दिया था हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संबंध में तो यह बतलाया था कि जो हमारी वार्ता चलेगी, वह मौजूदा स्थिति को कायम रख कर चलेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन श्री सेंड्स के आने के बाद जो बयन अखबारों में आ रहे हैं, उनमें लिखा है कि कोई शर्त नहीं है। बिना किसी शर्त के बात होगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति का प्रश्न है और इस पत्र व्यवहार को पहले लोक-सभा में आना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो कुछ यहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था उन्होंने उसकी ही व्याख्या की है कि कोई शर्त नहीं रक्खी है। सब बातें खुली हैं। जो बातें होंगी वह वहां करेंगे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं एक चीज यहां अर्ज कर दूं। माननीय सदस्य ने कहा कि पत्र व्यवहार यहां नहीं रक्खा गया । मेरा ख्याल है कि इसकी सूचना दे दी गई थी कि हम उसे यहां

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

रखना चाहते हैं, जब अध्यक्ष महोदय तय कर दे। लेकिन यह हमारे रखने की बात नहीं है। वह खत निकला है कई जगह से, हमारी इजाजत से। वैसे उसकी नकलें भेजी गई थीं। कराची भेजी गई थीं और कुछ और मुल्कों को भेजी गई थीं। उन्होंने हम से पूछा कि क्या वे उसको दिखा सकते हैं या छाप सकते हैं। हम ने कहा "हां"। यहां तो बाद में बात उठी। वह कोई दो, चार हफ्ते पुरानी चीज है।

अगर हम गौर करें तो जो दूसरी बात वह कहते हैं उसी के बारे में मैंने लोक सभा में बयान दिया था यानी जो ज्वायेंट स्टेटमेंट फील्ड मार्शल अय्यूब और मेरा हुआ। उसमें यह था कि मेरी जो बातें मि० डंकन सड्स और मि० हैरिमन से हुई उनमें मैंने उनसे बयान किया कि क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने हैं। उलट पलट करने में बड़ा नुकसान होगा हिन्दुस्तान को और पाकिस्तान को और हमारे रिश्तों को। इन बातों का बयान था। और उन्होंने महसूस किया कि हां, उसमें कुछ अहमियत है जो मैंने उनसे कहा।

दूसरी बात जो मैंने कही वह बिल्कुल सही थी, और वह यह थी कि उन से बातें करने में कोई रुकावट नहीं है, किसी सवाल की। जो हमारी राय है हम कहेंगे, जो उनकी राय है वे कहेंगे। हम बातचीत करेंगे लेकिन कोई प्रिकंडिशन्स नहीं हैं। कोई फर्क नहीं है पहले और दूसरे में।

दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मोटर गाड़ियों पर कर लगाने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : —

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मोटर गाड़ियों पर कर लगाने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) विधेयक

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : श्री नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आपातकाल में लगे हुये कुछ व्यक्तिगत घावों के संबंध में सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि आपातकाल में लगे हुये कुछ व्यक्तिगत घावों के संबंध में सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**श्रम और रोजगार मंत्रालयों में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री चे०रा० पट्टाभिरामन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

परिसीमन आयोग विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा ३० नवम्बर, १९६२ को श्री विभुधेंद्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि लोक सभा की सीटों के राज्यों में आवंटन, प्रत्येक राज्य की विधान सभा की कुल सीटों, लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिये प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचक क्षेत्रों में बांटने का पुनः समायोजन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के लिये ३ घंटे का समय निर्धारित कर दिया है। ३५ मिनट पहले हो चुके हैं और २ घटे और २५ मिनट अब बाकी रहते हैं।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : खंड ५ का संशोधन करना चाहिये ताकि संसद और राज्य विधान सभाओं में प्रत्येक दल का कम से कम एक सदस्य रखने के लिये सह-सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये ताकि विभिन्न विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये प्रत्येक दल को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

वर्तमान संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन नहीं किये जाने चाहियें जिनकी आवश्यकता नहीं। निर्वाचनों में अधिक से अधिक खर्च बढता जा रहा है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाने चाहिये जो एक दूसरे से लगे हुये हों ताकि चुनाव में उम्मीदवारों को अधिक खर्च न करना पड़े।

जब तक आपातकालीन स्थिति है तब तक आयोग का कार्य कुछ समय तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये ताकि लोगों की पूरी ताकत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये प्रयोग में लाई जा सके। ऐसा करना संभव है, क्योंकि अगले चुनाव तो वर्ष १९६७ में होंगे।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : यह बात उचित नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को विधेयक से बाहर रखा जाए। जम्मू तथा काश्मीर देश का अभिन्न अंग है।

निर्वाचन क्षेत्रों को ठीक प्रकार से बनाया जाना चाहिये। कई निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से बने हुए हैं कि एक व्यक्ति का सब मतदाताओं तक पहुंचना कठिन है निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न विभाग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। उम्मीदवार के लिए प्रत्येक विभाग में जाना बहुत कठिन है।

अनुसूचित आदिम जातियों की सूची प्रत्येक राज्य में भिन्न है। उदाहरण के लिए जो मतदाता आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों में हैं, वे उड़ीसा में नहीं हैं। यह आशंका है कि यदि उन को वहां अनुसूचित आदिम जाति घोषित कर दिया जाता तो कोरापाट जिला को रक्षित बनाना पड़ता डिससे एक मंत्री की सीट खतरे में पड़ जाती। एक समान एवं वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाना चाहिये दलीय विचार उस में नहीं लाए जाने चाहिएं।

परिसीमन आयोग में सहसदस्यता का आधार अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। सहसदस्य को आयोग के सदस्यों के समान ही मताधिकार भी प्राप्त होने चाहिएं। चूंकि प्रत्येक राज्य में कई राजनैतिक दल हैं अतः परिसीमन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि सत्र बढ़ गया है। अतः यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बहुत जरूरी नहीं है। दूसरे अगला चुनाव १९६७ में होगा। इसलिए इस विधेयक को संकटकाल समाप्त होने पर भी आसानी से लाया जा सकता था। यदि इस विधेयक को पारित भी कर दिया जाए तो भी आयोग तब तक नहीं बनाया जाना चाहिये जब तक कि पुनः सामान्य स्थित न हो जाए। यदि अभी आयोग ने काम करना आरम्भ कर दिया तो जनता का ध्यान आवश्यक चीजों से हट जाएगा। इस समय असम जैसे राज्य में आयोग को काम करना असम्भव है।

यह बहुत उचित होगा कि जम्मू और काश्मीर को विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया जाए।

निर्वाचन क्षेत्र मिले हुए क्षेत्रों से बनाये जाने चाहियें। उनके क्षेत्रों का भाग एक दूसरे में शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरे इस से उम्मीदवारों को सभी मतदाताओं के पास पहुंचना सम्भव हो जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि कोई जाति निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग में तो अनुसूचित जाति है और दूसरे भाग में गैर-अनुसूचित जाति है। इस से नामांकन पत्र भरते समय कठिनाई होती है।

अब मतदाताओं की संख्या प्रत्येक चुनाव में बढ़ती जा रही है। सरकार के लिये भी चुनाव बड़े से बड़ा काम होता जा रहा है। इसलिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सीमित कर देनी चाहिए ताकि, प्रत्येक उम्मीदवार अपने मतदाताओं तक पहुंच सके।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने विचार के लिए उपस्थित है, वह हमारे संविधान के अनुच्छेद ८२ और १७० से सम्बन्ध रखता है। जहां तक मेरा खयाल है, इस विधेयक के सब प्राविज़न्ज़ इस विषय के पुराने १९५२ के कानून के अधीन और उस के मुताबिक बनाए गए हैं। कई माननीय सदस्यों ने यह राय प्रकट की है कि अभी इस बिल पर अमल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय देश की राजनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति ऐसी है, जिस में इस काम को हाथ में लेने से लोगों का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय से हट कर एक ऐसे साधारण विषय की ओर खिंच जायेगा, जो कि अभी आवश्यक नहीं है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है— और उसी के अनुसार इस विधेयक में भी कहा गया है—कि हर एक मर्दुम-शुमारी के बाद लोक सभा में हर एक प्रदेश की सीट्स, हर एक प्रदेश में विधान सभा की सीट्स और लोक सभा तथा विधान सभाओं कीं कांस्टीट्युएन्सीज़ को री-एड्जस्ट करने के लिए संसद् के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार एक अथारिटी की नियुक्ति की जायेगी। मैं समझता हूं जहां तक रिएडजस्टमैंट का सवाल होता है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि जो नर्वाचन क्षेत्र अभी बने हुए हैं, उन में थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन इस विधेयक के जो प्राविजंज हैं, उनको जब मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। यह विधेयक संविधान की धारा के मुताबिक पेश किया गया है जिस में कहा गया है कि रिएडअगस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन वास्तव में उस धारा को न मान कर ऐसा मालूम पड़ता है कि नये सिरे से निर्वाचन क्षत्रों का निर्माण करने के लिए इसे यहां उपस्थित किया गया है। इसको पढ़ने से ऐसा ही प्रकट होता है। में इस सम्बन्ध में आपका ध्यान विशेष कर धारा ८ की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिस में कहा गया है :—

> "आयोग हाल ही जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अनुच्छेदों ८१, १७०, ३२० और ३३२ के अनुसार आदेश निर्धारित करेगा।"

बगल में जो हैडलाइन दी गई है, उस में तो कहा गया है, रिएडजस्टमैंट आफ नम्बर आफ सीट्स। लेकिन धारा ८ का जो प्राविज़न है, उससे ऐसा मालूम होता है कि नए सिरे से तमाम निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन किया जाएगा। यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं इस में इस तरह के शब्द रहने चाहियें :—

> "आदेश से सीटों की सख्या में, पुनः समायोजन करेगा"

अगर ऐसा किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह संविधान की धारा के. मुताविक होता। डिटरमिन करने का अर्थ होता है, नए सिरे से तमाम निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना। लेकिन रिएडजस्टमैंट का अर्थ जैसा मैं समझता हूं, यह नहीं है। उसका अर्थ है मामूली परिवर्तन करना। इस सबध में मैंने कोई संशोधन नहीं किया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें।

[श्री श्री नारायण दास]

संविधान में दिया गया है कि जो अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे इस कानून के मुताबिक, उनका यह काम होगा कि लोक सभा और विधान सभा का जो नम्बर अभी से तय है, उस में अगर जरूरत पड़े तो इधर से उधर या उधर से इधर कुछ परिवर्तन कर दिया जाए और निर्वाचन क्षेत्रों का रिएडजस्टमैंट कर दिया जाए। किन्तु उनका यह काम नहीं है कि वे निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्माण करें। इसलिये धारा ८ में जिन जिन संविधान की धाराओं का जिक्र किया गया है, उन पर ध्यान देने से मालूम पड़ता है कि हमारे जो अधिकारी होंगे या यह जो डिलिमिटेशन कमिशन होगा यह नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करेगा, जो कि मैं नहीं समझता इस बिल का मन्शा है।

जैसा मैंने अभी कहा जो डिलिमिटेशन कमिशन बनेगा उसका काम होगा सिर्फ रिएडजस्टमैंट करना इसलिये जो चुनाव चार वर्ष बाद होने वाला है, उसके लिये अभी से तैयारी करना ठीक नहीं है। अगर नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण नहीं करना है और छोटे मोटे परिवर्तन ही करने हैं, वर्तमान क्षेत्रों का रिएडजस्टमैंट ही करना है, तो इसके लिए चार वर्ष पहले से काम शुरू कर देना मैं नहीं समझता उपयुक्त होगा। इसके लिये तो दो वर्ष का समय काफी था। हम दो वर्ष के बाद डिलिमिटेशन कमिशन बना सकते थे और निर्वाचन क्षेत्रों में रिएडजस्टमैंट करने के लिय उसको कह सकते थे। लेकिन यह जो धारा है, यह ठीक नहीं है, इसके अनुसार जो डिलिमिटेशन कमिशन बनने वाला है, उसका स्कोप बहुत बड़ा है, इस के अनुसार तो वह नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करेगा।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान क्लाज़ ९ की तरफ दिलाना चाहता हूं।

यहां भी मैं समझता हूं डिलिमिटेशन वर्ड को हटा करके

"उसी के परिसीमन में वे पुनः समायोजन करेंगे।"

रख दिया जाना चाहिये। डिटरमिन का अर्थ होता है पूरे तरीके से, नए सिरे से निर्धारित करना; जो शब्द दिये गये हैं, उससे इलैक्शन कमिशन को भी कुछ गल्तफहमी हो सकती है। संविधान के अनुसार जितने अधिकार इसके होने चाहिये, उससे कुछ ज्यादा अधिकार इसको मिल जायेंगे। अगर डिलिमिटेशन कमिशन नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करेगा, तो उस में अनुरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं रह सकेगी।

अभी यहां कहा गया है कि जो एसोसिएट मैम्बर होंगे, जो कि कमिशन के साथ रखे जायेंगे, उनको पूरा पूरा अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत भारी सिद्धान्त की बात है। पहले ऐसा हुआ करता था कि विधान सभा हो या संसद्, चुनाव सम्बन्धी या डिलिमिटेशन सम्बन्धी सारा काम संसद् के द्वारा हुआ करता था। लेकिन चूंकि संसद् में कई तरह की पार्टियां रहती है और एक बहुमत पार्टी है और दूसरी अल्पमत पार्टियां होती हैं, इसलिये इस काम को करने के लिये एक अलग कमिशन की नियुक्ति हो रही है। जब अलग कमिशन की नियुक्ति हो रही है तो कुछ मैम्बरों को जो एसोसिएट मैम्बर्ज के तौर पर लिया जा रहा है, उचित ही किया जा रहा है। लेकिन जहां तक इन एसोसिएट मैम्बर्ज़ के अधिकारों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनको केवल सुझाव देने का ही अधिकार होना चाहिये और जहां तक अधिकारों का प्रश्न है, पूरे के पूरे अधिकार कमिशन के पास रहने चाहियें। जब कभी कोई इंडिपेंडेंट कमिशन का निर्माण किया जाता है, तो वह इसलिये किया जाता है कि न केवल बहुमत पार्टी को बल्कि सभी दूसरी पार्टियों को भी संतोष हो। इस वास्ते मैं समझता हूं कि जो इसोसिएट मैम्बर्स हैं, उनके वही अधिकार रहने चाहिये, जो पहले थे, और उनको किसी भी प्रकार से वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। जो साधारण मैम्बर होंगे, डिलिमिटेशन कमिशन के उनको ही ये अधिकार होने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : छः मिनट के बाद मैं पहली घंटी बजा दूंगा और उसके एक मिनट के बाद दूसरी। तब माननीय सदस्यों को बन्द कर देना चाहिये।

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : पंजाब में दो क्षेत्र हैं—एक हिन्दी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। उन का प्रनिनिधित्व करने के लिये परीसीमन अयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए।

पंजाब में हाल में जो सीमान्त जिले बनाए गए हैं उन के साथ "नेफा" क्षेत्र के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में भौगोलिक परिस्थितियों का विचार अवश्य किया जाना चाहिये। जहां तक कुल्लू का सम्बन्ध है, न्यूनतम जन संख्या पहले ही निर्धारित करदी जानी चाहिये ताकि कांगड़ा क्षेत्र का कोई भी भाग उस से न मिलाया जा सके। प्रशासकीय एकक ब्लाक स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

परिसीमन आयोग संकटकालीन स्थिति तक अपनी कार्यवाई स्थगित कर दे।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया है कि यह जो डिलिमिटेशन बिल लाया गया है वह संविधान की धारा ८२ के वास्ते लाना जरूरी था। लेकिन अगर इस बिल की प्राविजन्स को देखा जाय तो यह प्रतीत नहीं होता कि जम्मू और काश्मीर को इसमें से छोड़ देने से शासन का क्या उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि इसमें जम्मू और काश्मीर को सम्मिलित कर लिया जाये, और इस वास्ते जो कुछ पहले वक्ताओं ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं।

मैंने देखा है कि सन् १९५२ में डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में वेस्ट नेमाड की कांस्टिटुएन्सी राजपुर को २१ दिसम्बर, ६२ को बदला गया। उस वक्त मध्य भारत के विरोधी सदस्य उसके एसोशिएट मेम्बर थे उनकी मार्फत तार दिया गया कि वस्ट निमाण की कांस्टिटुएन्सी को राजपुर और सेंधवा में बदल देने से असुविधा होती है। लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया गया। तार भेजा गया, पत्र भेजा गया तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जब वह मेम्बर स्वयम् जाकर मिले तब उन्होंने कहा :

> "यह परिसीमन प्रशासनिक सुविधा के येलि किया जाता है, सदस्यों की सुविधा के लिए नहीं।"

उन्होंने बतलाया कि उन्होंने कहा कि सेंधवा एक डबलमेम्बर कांस्टिटुएंसी है उसको तो आप आदिवासी कांस्टिटुएन्सी करते है और राजपुर जो एक जनरल कांस्टिटुएन्सी है उसको आप आदिवासी कांस्टिटुएन्सी करते हैं इसका क्या मतलब है? उसकी जो बाउण्ड्री है उसमें दो गांव दूसरी तहसीलें और जोड़ करके उसको आपने आदिवासी कांस्टिटुएन्सी कर दिया। इस तरह से देखा जाये तो पता चलेगा कि जिस क्षेत्र से विरोधी दल का सदस्य जीत कर आता है, डिलिमिटेशन बिल लाकर उस पर असर डाला जाता है। आज जनता में यह साधारण भावना है कि जहां से भी विरोधी दल का सदस्य जीत कर आता है उस क्षेत्र पर डिलिमिटेशन बिल लाकर कुठाराघात किया जाता है। डिलिमिटेशन बिल का इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं है।

इसमें जो सेक्शन ९/ए/है उसमें दिया हुआ है :

> "सब निर्वाचन क्षेत्र यथा सम्भव भूगौलिक दृष्टि से साथ सघन क्षेत्र होंगे।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

वास्तव में देखा यह जाता है कि इसमें जो रूलिंग पार्टी होती है उसका सारा झगड़ा होता है। रूलिंग पार्टी के लोग अपने आदमियों को इस के सम्बन्ध में जो टलीफोन करते है अगर उनको टेपरेकार्ड किया जाये तो मालूम होगा कि रूलिंग पार्टी की ओर से कितना प्रभाव डाला जाता है। विरोधी दलों को वहां से हटाने के लिये जो दूर दूर के स्थान होते है उन को मिला दिया जाता है। ७०, ७० मील दूर के गांवों को एक कांस्टिटुएन्सी से निकाल कर दूसरी कांस्टिटुएन्सी में मिला दिया जाता है। इस तरह से जो डिलिमिटेशन होता है वह नहीं होना चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो एसोशिएट मेम्बर होते है उनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिय। इससे कम से कम यह होगा कि वहां पर कुछ इन्फलएन्स उनका रहेगा। अगर वे वहां नहीं रहेंग तो रूलिंग पार्टी के जिस इन्फ्लुएन्स का जिक्र मैंने किया है वह वहां ज्यादा रहेगा। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। इस तरह की चीज वहां प्रिवेल न करे, इसके लिये आपने क्या प्राविजन किया है? एसोशिएट मेम्बरों को वोट देने का अधिकार भी नही है, यह भी गलत है। ऐसोशिस्ट मेम्बरों को वोट देने का अधिकार न होने से जो कुछ वह कहते है वह केवल एक राय भर होती है। उनके राय देने पर भी कमीशन को जो करना है वह तो वह कर सकता ही है और एसोशिएट मेम्बर की बात नहीं सुनी जाती है।

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एसोशिएट मेम्बर अपनी ओपीनियन दे सकता है लेकिन उस ओपीनियन को मानना कमीशन के लिये जरूरी नहीं है। यह जो प्राविजन है वह ठीक नहीं है। इसके होते हुए डिलिमिटेशन बिल लाने का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर एसोशिएट मेम्बरों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है तब तो इस डिलिमिटेशन बिल को लाने का कोई लाभ हो सकता है अन्यथा कोई लाभ नहीं है। अगर यह नहीं किया जाता तो जितने भी मध्य प्रदेश के विरोधी दल के लोग है उनमें यह भावना उत्पन्न हो जायेगी कि यह जो बिल रक्खा गया है वह केवल मध्य प्रदेश के विरोधी दलों के लोगों को मजबूर करने के लिये और दबाने के लिये रक्खा गया है, इसके जरिये से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनाये जायेंगे। इसके अलावा रूलिंग पार्टी का और क्या उद्देश्य इसके लाने में हो सकता है?

इसी तरह से एक जगह रक्खा गया है "**लार्जेस्ट नम्बर आफ आदिवासीज**" इससे उनका क्या अभिप्राय है? इसमें लिखना चाहिये कि जहां पर ३० परसेन्ट या ४० परसेन्ट कंसेट्रेशन होगा। इस वास्ते मैं विनती करता हूं कि जैसा आप आदिवासियों के लिये अकसर कहते है उनके लिये आपके अन्दर ह्यमन काइन्डनेस है, उसको देखते हुए काफी नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो अमेंडमेंट दिया गया है उसको मन्त्री महोदय मंजूर कर लें।

†**श्री करुथिरमण** (गोबीचेट्टिपलयम्) : जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है पिछले आयोग ने निर्वाचन क्षत्रों के परिसीमन के मामले में मद्रास के साथ न्याय नहीं किया था। उनका परिसीमन भौगोलिक स्थिति, संचार साधनों एवं सार्वजनिक सुविधा के अनुसार नहीं किया गया था। उदाहरण के लिये तलवाड़ी फिरका निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसमें उम्मीदवार को एक भाग से दूसरे भाग तक

---

†मूल अंग्रेजी में

जाने में ११० मील का फासला तय करना पड़ता है। तलवाड़ी फिरका गोबीचेट्टीपलयम् तालुक में होना चाहिये ।

कुछ राज्यों में संसदीय सीट में आठ विधान सभा सीटें है, परन्तु मद्रास में केवल पांच सीटें है। यह उचित नहीं है । इस को दूर करना चाहिये ताकि न्याय हो जाए ।

श्री भक्त दर्शन : (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं । अभी हमारे कुछ माननीय मित्रों ने यह सुझाव दिया कि क्योंकि हम बड़ी असाधारण परिस्थिति से गुजर रहे है इसलिये इस विधेयक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार का मंशा यह है कि वह इस विधेयक को स्वीकार करके यह दिखाना चाहती है कि चाहे हमारे देश पर कितनी ही आपत्ति आए हम लोकतन्त्री प्रणाली में विश्वास करते है और उस पर अमल करना चाहते है ।

इस विधेयक की धारा ३ में लिखा है :

"इस विधेयक के लागू होने के तत्काल पश्चात्।"

इसकी वजह से सरकार के लिये अनिवार्य हो जाएगा कि इस अधिनियम के बनते ही जल्दी से जल्दी कमीशन की नियुक्ति कर दी जाए। मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिये, और अभी जो चार वर्ष का समय रहा हुआ है इसके होते हुए भी इसको तो पार कर दिया जाए, लेकिन जब देश में अनुकूल वातावरण हो, और लोगों के दिमाग ठीक हों तब इस पर अमल किया जाए तो ज्यादा उचित होगा ।

जो कुछ मेरे मित्रों ने जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में कहा है उसका भी मैं समर्थन करता चाहता हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि जब चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत जम्मू काश्मीर राज्य को ला दिया गया है और वहां संविधान की और भी धाराएं लागू कर कर दी गयी है तो इस डिलिमिटेशन कमीशन के कार्य क्षेत्र से उस राज्य को क्यों वंचित किया जा रहा है। यह न्यायपूर्ण नहीं मालूम होता। माननीय उपमन्त्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही थीं। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मैं उपस्थित नहीं था। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

इस विधेयक की धारा ५ में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में तीन लोकसभा के और चार विधान सभा के सहयोगी सदस्य नियुक्त किये जायेंग, लेकिन राज्य की जो परिभाषी की गयी है उसमें कहीं भी यूनियन टेरिटरी (संघीय क्षत्रों) का जिक्र नहीं किया गया है। यह समझ में नहीं आता कि संघीय क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या मणिपुर त्रिपुरा में या दूसरे क्षेत्रों में यह कमीशन किस तरीके से काम करेगा। यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वहां के लिये भी लोकसभा के सदस्य हैं और वहां टैरोटोरियल काउंसिलें है और दिल्ली में तो नगर निगम है जो टैरोटोरियल काउंसिल की जगह काम करता है। अतः इन क्षत्रों के लिये भी अन्य राज्यों की तरह से सदस्य नियुक्त क्यों न किय जाएं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में निर्णय करने की कृपा करेंगे ।

धारा ६ में लिखा है कि किस तरह से यह कमीशन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से पर्वतीय इलाकों की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कि यातायात की बड़ी कठिनाई हैं। इसका अभी मुझ से पहले मेरे मित्र श्री हेमराज जी ने भी जिक्र किया था। अगर हम साड़े सात लाख जनसंख्या का जो मानदण्ड है उसको पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लागू करें तो यह न्यायपूर्ण न होगा बल्कि वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा।

[श्री भक्त दर्शन]

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कोई निर्वाचन क्षेत्र तीन तीन जिलों में फैले हुए है। मैं यहां पर किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वह सदस्य मुझे क्षमा करेंगे कि उनके बहुत से निर्वाचक यह शिकायत करते है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब तीन तीन जिलों में एक निर्वाचन क्षेत्र फैला हो तो सदस्य के लिये उस पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाए गए है कि

कहीं की ईंट कहीं का रोडा, भानमती ने कुनवा जोड़ा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि निर्वाचन क्षेत्र बनाने के बारे में ऐसी हिदायत होनी चाहिये कि जहां तक सम्भव हो एक जिले का ही एक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिये, और यदि ऐसा सम्भव न हो तो दो जिलों से ज्यादा का तो कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीन या चार जिलों में एक निर्वाचन क्षेत्र के फैले होने से बड़ी असुविधा होती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जहां परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित स्थान रखने की व्यवस्था की गयी है वहां लिखा है :

"जहां तक व्यावहारिक हो, जहां उनकी जनसंख्या कुल संख्या के अनुपात में काफी अधिक हो।"

मुझे उन इलाकों में जाना पड़ा जहां इस प्रकार की सुरक्षित सीटें रखी गयी ह। वहां के लोगों का कहना है कि क्या आखिर हमारा ही ठेका है और ये सीटें हमारे सिर पर ही क्यों थोपी गयी है? बहुत लोगों का यह खयाल है कि इस सवाल पर सदन में विचार होना चाहिये क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का प्रश्न है। उन लोगों की जो इन इलाकों में परिगणित जातियों के नहीं है यह शिकायत है कि इस प्रकार आप उनको निर्वाचित होने के अधिकार से वंचित कर रहे है। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसी हिदायत होनी चाहिए कि ये सुरक्षित स्थान रोटेशन से अलग अलग क्षत्रों में रख जायें ताकि सभी के हिस्से में आ जाएं। अगर इस चीज पर, कि जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा है वहां ये सुरक्षित स्थान रखे जाय और इस पर दृढ़ता से अमल किया गया तो मुझे शंका है कि वहां के सवर्ण लोगों को बहुत बड़ी शिकायत होगी और उनको यह कहने का मौका हो जाएगा कि हमको हमारे अधिकारों से संचित किया जा रहा है। अतः मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

मुझ इतना ही कहना था। धन्यवाद।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

श्री रा० प्र० सिंह० (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिसीमन आयोग विधेयक १९६२ का जो सदन के समक्ष न्याय मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया है, मैं स्वागत करता हूं।

इस विधेयक द्वारा संविधान के आदेशानुसार एक यंत्र का संगठन करने की व्यवस्था की गयी है जिसके जिम्मे विभिन्न राज्यों में संसद की सीटों का बटवारा करना, विधान सभाओं के लिए सीटों की तादाद को निश्चित करना एवं विधान सभा तथा लोक सभा के लिए चुनाव क्षत्रों का संगठन करना है। यह विधेयक सन् १९५२ के परिसीमन आयोग कानून से बहुत भिन्न है। यह जो मशीनरी बनेगी इसके सदस्य दो प्रकार के होंग, एक एसोसिएटेड सदस्य और दूसरे साधारण सदस्य। साधारण सदस्यों में दो हाईकोर्ट के जज होंग, जो या रिटायर्ड हों या हाई कोर्ट में काम करने वाले हों और तीसरे चीफ इलैक्शन कमिश्नर एक्स आफिशियों चेयरमैन होंगे।

सम्बन्धित सदस्यों के अधिकार सीमित कर दिय गये है और उन्हें केवल सलाह देने का ही हक होगा और अंतिम फैसला पूरे सदस्य ही करेंगे। एलेक्शन कमिशन के जो तीन सदस्य है अंतिम फैसला उन्हीं सदस्यों को करना है। यह जो असोसियेट मैम्बर्स या सम्बन्धित सदस्य है इन लोगों की सीमा केवल सलाहकार तक ही रही है। इस बारे में मेरा कहना है कि सम्बन्धि सदस्यों के अधिकारों को जो इस तरह से सीमित किया गया है कि उनको अंतिम फैसले में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, यह उचित नहीं जंचता। मैं मानता हूं कि हाईकोर्ट के जज कानून की दृष्टि से बहुत पंडित हो सकते है लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जैसा क्षेत्रों का संगठन होना चाहिए और क्षेत्रों की बनावट, भौगोलिक दृष्टि और स्थानीय महत्व आदि के सम्बन्ध में उनके ज्ञान और अनुभव में कमी होना संभव है। वे कानून के बिलाशक बड़े पंडित है लेकिन क्षेत्रों की सुगमता तथा कठिनाइयों का अनुभव उन्हें नहीं होगा और उसमें व अनिज्ञिज्ञ होंगे। इन बातों का ज्ञान सम्बन्धित सदस्य जो कि लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों में से ही बनाये जायेंगे उनका ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक होगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एसोसियेट मेम्बर्स को जिनको कि स्थानीय मामलों का विशेष अनुभव है, उनको अधिकार न देकर केवल कानून के पंडितों और कानून के अनुभवी लोगों को ही दिया जाय यह उचित नहीं जचता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधयक में यह भी बताया गया है कि इन्हीं में जो मेजारिटी या बहुमत होगा उसी का फैसला सबके लिए मान्य होगा। मुझे भय है कि कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जो उस समिति के फुल मैम्बर्स हैं, पूरे मैम्बर्स है, उन तीन में से दो गैरहाजिर हों और सात सम्बन्धित उपस्थित सदस्यों की एक राय हो तो भी एक फुल फ्लैजड मैम्बर जो कि उपस्थित है उस एक ही सदस्य का विचार इन सातों सदस्यों के विचारों से सर्वोपरि हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा यह दृढ़ मत है कि सम्बन्धित सदस्यों का जिनका कि ज्ञान स्थानीय मामले में जज लोगों से कहीं अधिक है, उनको पूरा पूरा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि मतदाताओं की दिक्कत और उम्मीदवारों की कठिनाइयों का ज्ञान सम्बन्धित सदस्यों को उन फुल फलैजड मम्बर्स से ज्यादा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित सदस्यों के गठन के बारे में एक सुझाव मुझे यह देना है कि कभी-कभी अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि विधान सभाओं की मंत्रिपरिषदों के सदस्यों को ही विशेष कर सम्बन्धित सदस्य बनाया जाता है। नतीजा यह होता है कि चूंचूंकि उनके पास समय की कमी रहती है इसलिए इस काम में जितने समय की आवश्यकता है, जितना समय उन्हें देना चाहिए उतना वे लोग नहीं दे सकते हैं। जहां तक अनुभव का सवाल है अनुभव तो उन्ह भी काफी होता है लेकिन समय की तंगी के कारण वे आवश्यक समय इस काम में नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक के सम्बन्ध में उनसे जो सहायता मिलनी चाहिए और जो साधारण सदस्य विधान-सभाओं को दे सकते हैं, वह मंत्री लोग नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यह दृढ़ मत है कि सम्बन्धित सदस्यों को लेते समय यह खयाल रक्खा जाये कि यदि आवश्यक हो तो प्रदेश का एक मिनिस्टर से अधिक सम्बन्धित सदस्य न बनाया जाये। भरसक प्रयत्न तो इस बात के लिए हो कि मिनिस्टर्स को बनाना ही नहीं चाहिए लेकिन अगर बनाना आवश्यक हो तो एक से अधिक मिनिस्टर को सम्बन्धित सदस्य न बनाया जाये।

रिजरवेशन के बारे में कहा गया है कि रिजरवेशन आफ सीट्स, जहां शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों का बहुमत हो, दिया जाये लेकिन कुछ रोटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा

[श्री रा० प्र० सिंह]

कि श्री भक्त दर्शन ने बतलायी कि बार बार एक क्षेत्र में रिजर्वेशन होने से लोगों का ऐसा ख्याल हो जाता है कि ये सीटें एक ही कांस्टीटुएंसी में रख कर उनके सिर के ऊपर लादी जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सुरक्षित स्थान रोटेशन से अलग अलग क्षेत्रों में रक्खें जांय ताकि सभी के हिस्से में आ जाएं।

इस विधेयक की धारा ९(१) में परिसीमन की प्रणाली निश्चित की गई है जिसमें बतलाया गया है कि क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के समय क्षेत्र के सटेपन, भौगोलिक निकटता, आवागमन की सुविधा एवं प्रशासन सम्बन्धी वर्तमान अक्षुण्णता पर ध्यान दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि आखिर यह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का सब से छोटा रूप किसको माना गया है? अभी तक तो थानों को एडमिनिस्ट्रटिव यूनिट बना कर यह चुनाव क्षेत्र बनाये जा रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि एक थाना या उसके कुछ भाग को दूसरे थाने में काट कर मिला दिया जाता है। अगर पंचायतों को, डवलपमेंट कमेटी या भाग को विधान सभा का चुनाव क्षेत्र मान कर कि सीमा बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का भी पुनः संगठन हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह काम ठीक से हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बोलने के लिए इच्छुक लोगों को अपना नाम लिख कर देना पड़ता है अथवा आपकी आंख कैच करने का सिस्टम है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम मेरे पास है।

श्री ह० च० सौंय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के प्राविजंस को देखने से लगता है कि यह जो डिलिमिटशन होगा इसमें इस कमिशन को सारे चुनाव क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार है। होना तो यह चाहिए कि कम से कम परिवर्तन करके यह डिलिमिटेशन हो तो बेहतर है। इसलिए मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल में वह कुछ ऐसा इंतजाम कर दें जिससे कि कम से कम हेरफेर हो।

एसोशिएट मैम्बर्स के बारे में जिक्र किया गया। मेरा अपना खयाल है कि बिलकुल एसोशिएट मैम्बर्स न रक्खे जायें। सिर्फ लोगों को कमिशन के सामने अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाये। जैसा कि अभी इस बिल में दिया गया है कि एसोशिएट मैम्बर्स को हम रखते ही है तो यह जरूरी है कि यह काफी ब्रोडबेस्ड हो। ऐसा कांस्टीट्यूशन हो कि एक स्टेट में सभी पोलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स को मौका मिल सके। एसोशिएट मैम्बर्स को क्या अधिकार हो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये है। कुछ लोगों ने यह कहा कि एसोशिएट मैम्बर को भी वोट देने का अधिकार दिया जाये। मैं इस सुझाव का सर्वथा विरोध करता हूं। यहां तक तो ठीक है कि एसोशिएट मैम्बर्स कमिशन के लोगों को सहायता दे सकें और अपनी राय दे सकें मगर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ कमिशन के तीन मम्बरों को ही हो।

इसमें जो यह व्यवस्था की गई है कि किस तरीके पर चुनाव क्षेत्र का निर्माण हो, सिद्धान्त के तौर पर बहुत सी अच्छी बात कही गई है। माननीय सदस्यों ने इस बारे में फिजिकल फीचर्स, फैसल्टिीज आफ कम्युनिकेशन और पबलिक कनवीनियंस आदि का जिक्र किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि अमल में इन सारी बातों का हिसाब नहीं रक्खा गया।

यह बहुत जरूरी है कि इन पर सही अमल हो। सही तौर पर फिजिकल फीचर्स और कम्युनिकेसन और कनढोनियंस का ख्याल रक्खा जाना चाहिए। जो गड़बड़ियां अभी चुनाव क्षेत्र के निर्माण में मेरे अपने जिले में हुई हैं वह सुधारी जानी चाहिएं।

एक राय माननीय सदस्यों ने यह दी और रिजरवेशन के बारे में यह बात सही है कि यदि कोई चुनाव क्षेत्र पार्लियामेंट का हों, रिजर्व रक्खा जाय तो उसे सचमुच मत देने वालों के एक हिस्से को पूरा अधिकार नहीं मिलता और उनका अधिकार कम हो जाता है। मगर मैं उस राय से सहमत नहीं कि कभी एक चुनाव में एक क्षेत्र को रिजर्व रक्खा जाय और दूसरे समय उसे बदल कर दूसरी जगह रखा जाय। यह शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जिस ऐरिया में अधिक हैं वहीं होना चाहिये दूसरे इलाकों में जहां कि यह बहुत कम हैं अगर यह रक्खा जासेगा तो इससे उस क्षेत्र के प्रति अन्याय होगा।

जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजवेशन का समबन्ध है, उस की व्यवस्था हमारे कांस्टीट्यूशन में की गई है। हम सब चाहते हैं कि यह रिजर्वेशन जितनी जल्दी खत्म हो जाये, उतना ही अच्छा है। लेकिन मेरी राय यह है और हम लोग जानते हैं कि सब कोशिशों के बावजूद हम को अभी रिजर्वेशन को रखना पड़ेगा। हाल ही में हम ढेबर कमीशन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे थे। उस कमीशन ने साफ शब्दों में कहा है कि हम लोगों की कोशिशों के बावजूद पिछले चौदह बरसों में हम इस दिशा में बहुत अधिक नहीं बढ़ सके हैं। इस लिये हम को कुछ दिन तक रिजवशन को वर्दास्त करना पड़ेगा।

जहां तक नये सेंसस के मुताबिक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की पापुलेशन की नई रेशों का सम्बन्ध है, हो सकता है कि उस से रिजर्वेशन की संख्या घट जाये या बढ़ जाये। इस सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि नये सैन्सस के मुताबिक पापुलेशन की जो नई रेशों कायम होगी, उस में पुरानी संख्या में कोई परिवर्तन न किया जाना चाहिये।

आखिर में मैं सरकार से एक बार और कहूंगा—जेसा कि कई और माननीय सदस्यों ने भी कहा है—कि इस बिल के मुताबिक तो यह कानून पास होने के साथ ही लागू हो जायेगा, लेकिन हमारे देश की आज की परिस्थिति को देखते हुय इस कानून के पास हो जाने पर भी इस को तुरन्त लागू नहीं किया जाना चाहिय। मेरा सुझाव है कि आज देश की तमाम जनता, सब अफसरों और सब लोगों को देश की सुरक्षा के काम में ही लगना चाहिये, किसी दूसरे काम में नहीं।

†श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : कई सदस्यों ने यह कहा है कि आपातकाल में परिसीमन का कार्य नहीं किया जाना चाहिय। मेरे विचार से परिसीमन का कार्य एक सामान्य प्रशासनिक कार्य है अत : उसमें किसी प्रकार की ढिलाई करना ठीक नहीं है। यह हमारी प्रतिरक्षा के कार्य में रोड़े नहीं अटकाता अतः यह कार्य चलने दिया जाना चाहिये।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में एक मिला हुआ क्षेत्र निश्चित किया जाये।

रक्षित स्थानों के बारे में मुख्य सिद्धांत अनुसूचित जातियों की जनसंख्या होनी चाहिये दो मार्गों में बांटने से न केवल जातिवाद ही फलाफूला परन्तु और कई बातों में भी इजाफा हुआ। एकल सदस्य निर्वाचन क्षत्रों के स्थान पर बहु सहाय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिये।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने १९५२ का चुनाव लड़ा है, १९५७ का जु चुनाव लड़ा है और अब १९६२ का चुनाव लड़ा है। ये तीन चुनाव लड़ने के बाद मेरा अनुभव

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूति मिश्र

है कि इस सम्बन्ध में एसोशिएट मेम्बर्ज को नियुक्त करना बेकार है और उन की नियुक्ति को रोकने के लिये मैंने अमेंडमेंट्स भी दिये हैं। मेरा जाती अनुभव है कि एसोशियट मेम्बर्ज ने कुछ भी नहीं किया है और इस लिये उन को रखना बेकार है। मैं चाहता हूं कि यह काम इलैक्शन कमीशन के जिम्मे रहना चाहिय, क्यों कि उस ने यह काम बड़ी खूबी के साथ किया है।

इस के अलावा उस में जजों को रखना भी बेकार है। जो जज सर्विस में हैं, उनको चाहे रख लिया जाये, लेकिन रिटायर्ड जजिज को रखने से कोई फायदा नहीं है, क्यों कि उन का काम ठीक नहीं होता है मेरा सुझाव है कि अव्वल तो जज को न रखा जाये, लेकिन अगर रखना ही है, तो सिर्फ उस जज को रखा जाय, जो कि सर्विस में हो, क्योंकि रिटायर्ड जज को रखने से काम ठीक नहीं होता है। इलैक्शन कमीशन और एक जज ही यह काम करें और तीन आदमियों को न रखा जाये।

इस बिल में लिखा हुआ है कि जहां पर हरिजनों की तादाद ज्यादा हो— इस में "लार्ज" शब्द का प्रयोग किया गया है —वहां रिजर्व्ड कांस्टीट्युएन्सी बनाई जाये।। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जोकि १९५२, १९५७ और १९६२, इन तीनों चुनावों में रिजर्व्ड कास्टीट्युएन्सीज़ रहे। बाहर के हरिजन वहां जा कर सेवा नहीं कर सकत हैं और चुनाव नहीं लड़ सकत हैं। जिस क्षेत्र को रिजर्व्ड कांस्टी-ट्युएन्सी बनाया गया है, वहां के जनरल अर्थात् नान-हरिजन लोग ग्रज करते हैं कि हमारे ऊपर हरिजन लादे जाते हैं। मेरा ख्याल है कि रिजर्व्ड कांस्टीट्युएन्सीज़ को मोबाइल बनाना चाहिये। एक चुनाव में वह एक क्षेत्र में हो और दूसरे चुनाव में किसी दूसरे क्षेत्र में, ताकि हरिजनों को अपनी सेवा दिखा कर चुनाव लड़ने का मौका मिल सके।

इस सम्बन्ध में जो प्रणाली इस समय अपनाई गई है, उस में रिजर्व्ड कांस्टीट्युएन्सीज़ के बाहर हरिजन वंचित हो जाते हैं। मेरा जाती अनुभव है कि जहां पर रिजर्व्ड कांस्टीट्युएन्सीज़ नहीं रखी है, वहां के हरिजन ग्रज करते हैं और कहते हैं कि रिजर्व्ड कांस्टीट्युएन्सीज़ हमारे यहां क्यों नहीं रखी गई है और दूसरी जगह क्यों रखी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं पर हरिजनों की जन-संख्या दस प्रतिशत है, तो कहीं बारह प्रतिशत। केवल दो प्रतिशत कम होने के कारण हरिजनों को मारा जाता है।

अगर कोई आदमी किसी क्षेत्र में रहता है,तो वह उस क्षेत्र में अच्छी तरह और आसानी से चुनाव जीत सकता है। अगर बाहर का आदमी रखा जाता है, तो वहां के लोग कहते हैं कि हम पर बाहर का आदमी लाद दिया गया है। यह ऐसा जमाना नहीं है कि किसी कांस्टीट्युएन्टी में बाहर के आदमी रखे जायें। बाहर का आदमी किसी कांस्टीट्युएन्सी में चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव में तो वही आदमी जीतेगा, जो कि उस कांस्टीट्युएन्सी में रहता हो और उस की सेवा करता हो।

माननीय सदस्य, श्री श्रीनारायण दास, ने कहा कि हर साल कांस्टीट्युएन्सीज़ नहीं बदलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि कांस्टीट्युएन्सीज़ को बदलने की जरूरत है। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री सी० के० भट्टाचार्य, ने कहा है कई एसे क्षेत्र हैं, जिन के बीच में से नदी बहती है और उसी क्षेत्र में आने जाने के लिये नदी को पार करना पड़ता है। हमारी कांस्टीट्युएन्सी में तीन एम० एल० एज़ की कांस्टीट्युएन्सी पड़ती है। एक नदी पार करके जाना पड़ता है और तीन इधर पड़ती हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जो कांस्टीट्युएन्सी होनी चाहिये, वह कम्पैक्ट होनी चाहिये। मैं समझता हूं उपयुक्त समय पर इस बिल को यहां पश किया गया है। इलैक्शन कमिशन को चाहिये कि वह कांस्टीट्यु-एन्सीज़ की ठीक तरह से जांच पड़ताल कर और कांस्टीट्युएन्सीज़ को बनाये। प्रायः देखा जाता है कि जब चुनाव आ जाता है तो निर्वाचन क्षत्रों की बनावट जल्दी जल्दी की जाती है। यह काम पहले

से ही कर लिया जाना चाहिय । इस वास्ते मैं समझता हूंकि उपयुक्त समय पर इस बिल को पेश किया गया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस समय हमारे दिमागों में लड़ाई की बात है और इसको अब नहीं आना चाहियें । लेकिन हम लड़ाई भी लड़ेंगे और दूसरे काम भी करेंगे । अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, तो हम खाना भी खाते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं, उसी तरह से हम लड़ेंगे भी और ये काम भी करते चले जायेंगे । इस में घबराहट की बात नहीं है और न ही घबराते की जरूरत है ।

मैं समझता हूं कि कांस्टीट्युएन्सीज बनाने का काम इलैक्शन कमिशन के जिम्मे किया जाना चाहिये । उसको हमने विधान के अनुसार एक इंडिपेंडेंट बाडी बनाया है । जब वह इंपेंडेंट बाडी है तो मैं समझता हूं यह काम भी उसी के जिम्मे कर दिया जाना चाहिये । न आप को जजों को रखने की जरूरत थी और न हीं एसोसिएट मैम्बर्ज को रखने की जरूरत थी । उनको हटा देना चाहिये । अगर ऐसा कर दिया जाता है तो भी मैं समझता हूं कि काम ठीक से चल सकता है ।

श्री दें० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पर्सीमन आयोग विधेयक यहां आया है, यह संविधान के अनुच्छेद ८२ और १७० (३) को ध्यान में रखते हुये लाया गया है । चूंकि यह संविधान की मांगों के अनुसार पेश किया गया है, इस वास्ते इसके उद्देश्यों का कोई भी माननीय सदस्य विरोध नहीं कर सकता है । मोटे तौर पर यह विधेयक १९५२ का नम्बर ६२ जो अधिनियम था, जो एक्ट था, उसी की प्रणाली पर है । इस में कुछ सुधार और कुछ सुझाव भी दिये गये हैं । एक सुझाव यह है कि एसोसिएट मैम्बर्ज की संख्या को नियत कर दिया जाये, उसको निर्धारित कर दिया जाये । उसको निर्धारित कर दिया गया है । इसीलिये क्लाज ८ और क्लाज ९ अलग किये गये हैं ।

सम्माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि जम्मू काश्मीर पर भी इस विधेयक को लागू किया जाना चाहिये । जिन माननीय सदस्यों ने यह मांग की है, उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि यह विधेयक उस पर लागू नहीं होगा क्योंकि वहां पर १९५४ का आदेश लागू है ।

यहां पर माननीय सदस्यों की तरफ से यह मांग की गई है कि ऐसोसिएट मेम्बर जो हैं, उन को भी मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिये । ऐसोसिएट मेम्बर कौन होते हैं, उन की ऐप्वाइंट-मेंट किस बेसिस पर होती है, अगर इन बातों पर ख्याल किया जाये तो इसी नतीजे पर हम पहुंचते हैं, कि उन को मतदान का अधिकार देने की कोई जरूरत नहीं है । ऐसोसिएट मैम्बर का क्या काम है, इस को समझ लिया जाना चाहिये । वे, जिन को ऐसोसिएट मैम्बर एप्वाइंट किया जाता है, लोकल नालेज रखते हैं, कांस्टिट्युएंसीज का भी उन को नालेज रहता है और उन को कमीशन की मदद करने के लिये नियुक्त किया जाता है । चूंकि उन को हैल्प करने के लिये रखा जाता है इस वास्ते ऐसोसिएट शब्द का प्रयोग किया गया है । जिन संशोधनों की सूचना दी गई है, मैंने उन को पढ़ा है और उन को देखा है । किसी भी सम्माननीय सदस्य ने क्लाज २ जो कि डेफीनीशन क्लाज है या क्लाज ३ जो कि कांस्टीट्युएशन आफ दी कमीशन के बारे में है, पर कोई भी संशोधन पेश नहीं किया है । इस वास्ते यह अनावश्यक है कि ऐसोसिएट मैम्बर को मतदान का अधिकार देने के लिये वे कहें । कमीशन का जो डिसिशन होगा, उस पर दस्तखत करने का उन को अधिकार देना, मेरे ख्याल में आवश्यक है ।

कमीशन के जो काम यहां दिये हुए हैं उन को करने का पूरा अधिकार कमीशन को ही दिया गया है। ऐसोसिएट मेम्बर के बारे में जो क्लाज ५ की सब-क्लाज ४ में कहा गया है कि उन को दस्तखत करने का अधिकार नहीं होगा और न ही वोट देने का अधिकार होगा । वे प्रोपोजल्स दे सकते हैं । इतना ही नहीं, उन की प्रोपोजल्स की सार्वजनिक सुनवाई भी हो जायेगी । इतना ही अधिकार उन को दिया गया है ।

[श्री दे० शि० पाटिल]

कमीशन को यह भी अधिकार क्लाज ८ में दिया गाया है कि लेटेस्ट सैंसर्स फिगर्ज को ध्यान में रखते हुए लोक सभा की और राज्य विधान सभाओं की सीटों का वह बटवरा कर सकती है। वह हर राज्य से जो सुरक्षित सीटें हैं, उनको भी मुकर्रर करेगी। इसके लिये एसोसिएट मैम्बर को कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई एसोसिएट मैम्बर डाइसेंटिंग प्रोपोजल्ज देगा, तो उनको भी कमिशन अपनी प्रापोजल्ज के साथ पब्लिश करेगा।

मैं नहीं समझता हूं कि जिस को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको डाइसेंटिंग प्रोपोजल पेश करने का अधिकार कैसे हो सकता है। डाइसेंटिंग प्रोपोजल्स वही दे सकता है, जिसको वोट देने का अधिकार हो। इसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

आखिरी सुझाव में सुरक्षित सीटों के बारे में देना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की पपुलेशन बहुत ज्यादा है। शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का लार्जेस्ट कसैंट्रेशन कहां है इसके बारे में जो शैड्यूल्ड एरिया और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के ढ़ेवर कमिशन की रिपोर्ट के चैप्टर २ में जो शैड्यूल्ड ट्राइब्स पापूलेशन का पैरा दिया हुआ है, वह में आपको सुनाना चाहता हूं। उसमें पापुलेशन की फिगर दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है :-

अफ्रीका को छोड़ कर विश्व में आदिम जातियों का सब से बड़ा जमाव भारत में है। अनुसूचित जातियों (सूची) आदेश १९५१, अनुसार उन की संख्या २२५११८५४ इनमें सब से अधिक आदिम जाति के लोग मध्य प्रदेश, बिहार व उड़ीसा इत्यादि में हैं।

शैड्यूल्ड ट्राइब के लिये लोक सभा और विधान सभा की इन सीटों का जो विभाजन होता है, और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो सीटें मुकर्रर की जाती हैं और शैड्यूल्ड एरियाज को जो डिक्लेयर की गयी हैं, उस वक्त कमीशन को चाहिये कि नान शैड्यूल्डस एरिया के रहने वाले शैड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ध्यान रखें। जैसे कि शैड्यूल्ड कास्ट के बारे में रखते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अगर शैड्यूल्ड कास्ट का शब्द ही न रहे तो इस से क्या हानि होगी ?

श्री दे० शि० पाटिल : उन को भी ठीक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : मेरे विचार से यह समय इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये उपयुक्त नहीं है, सरकार ने इस समय कई विवादास्पद विधेयकों को वापस ले लिया है तथा स्वयं अपने वार्षिक अधिवेशन को भी निलम्बित कर दिया है कई सदस्यों ने इस विधेयक पर यह मत अभिव्यक्त किया है कि इसे तत्काल कार्यान्वित न किया जाये।

यह सदस्यों वाले खंड पर कई संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। सह सदस्य स्थानीय हालातों के बारे में अपनी जानकारी से सरकार की सहायता करते हैं। मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों के लिये उन की संख्या एक ही निश्चित नहीं होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे बड़े राज्यों के आयोग में सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि विभिन्न राज्य विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनाव एक ही समय में करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाये ।

हमारे यहां राज्यों तथा केन्द्रों में बहुदलीय सदस्य हैं । दलीय आधार पर सह सदस्यता के बारे में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का करना गलत बात होगी ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि परिसीमन करते समय चुनाव आयोग भौगोलिक रूप रेखा, वर्तमान सीमायें, संचार साधन तथा लोक सुविधा का भी ध्यान रखेगा पहिले इन बातों का समुचित ध्यान नहीं रखा जता है । कई सदस्यों ने इस के कुछ उदाहरण भी दिये हैं ।

यह वांछनीय नहीं है कि रक्षित निर्वाचन क्षेत्र समय समय पर बदलते रहें जैसे कि श्री विभूति मिश्र ने कहा है । इस से किसी सदस्य के लिये किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की सेवा कर सकना कठिन होगा । रक्षित निर्वाचन क्षेत्र सदा ही नहीं बने रहेंगे ।

जनसंख्या की रिपोर्ट में महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों की संख्या को १९५१ की जनसंख्या की अपेक्षा कहीं कम दिखाया गया । यह मालूम नहीं है कि यह क्योंकर संभव हुआ है । सरकार को चाहिये कि वह इस बारे में जांच करे अन्यथा इस का यर अनिवार्य परिणाम होगा कि राज्य विधान सभा तथा लोक सभा में महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जायेगी ।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाग) : कई माननीय सदस्यों ने सह सदस्यों के कार्यों के बाबत अपना मत दिया है । मुझे स्वयं चुनाव आयोग के काम का अनुभव है मेरा विश्वास है कि चुनाव आयोग नीचे के स्तर के अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करता है । और ये अधिकारी उन का ठीक प्रकार से पथ प्रदर्शन नहीं करते हैं । इसी लिये सह सदस्यों को स्थान दिया गया है जिस से कि वे आयोग का उन मामलों में पथ प्रदर्शन कर सकें जिन में निम्न अधिकारी राज्य स्तर पर उनका उचित पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं । सभी सह सदस्य स्वयं को अलग समझने के बारे में किसी रीति बद्ध शपथ को लेना पसन्द करेंगे जब कि उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न विचाराधीन हो । उन्हें अपने कार्य में राजनैतिक विचारों के ख्याल की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक बार जब किसी विधान सभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है तो संख्या के बारे में कुछ छूट दी जाती है । यदि संसदीय या विधान सभा की सीटों की संख्या किसी जिला विशेष के लिये बार बार वही रखी जाये तो वे निर्वाचन क्षेत्र भी ज्यों के त्यों रखे जानें चाहियें । उन मामलों में आयोग द्वारा एक औपचारिक घोषणा की जानी चाहिये ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं ने माननीय सदस्यों के भाषण को बहुत ध्यान से सुना है, अधिकांश सुझावों का संबंध विधेयक से नहीं है अपितु उन परिसीमन आयोग के पथ प्रदर्शन के लिये है ।

कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आपात काल को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक अभी प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था । संसद् के अधिवेशन के पहिले कार्यक्रम के अनुसार य ह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया था तथापि सभा की अवधि बढ़ा देने पर यह विधेयक लाया गया इस से श्री च० का० भट्टाचार्य ने यह परिणाम निकाला है कि यह विधयक महत्वपूर्ण नहीं था । यह बात गलत है । क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिभूधेन्द्र मिश्र]

तब यह निश्चय किया गया था कि केवल आपातकाल के संबंध में ही विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे तदुपरान्त सभा का समय बढ़ाने पर अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत करने का निश्चय किया गया ।

वस्तुतः प्रत्येक जनगणना के अन्त में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना अनिवार्य है । जब तक हम संविधान के अनुच्छेदों का पालन करते हैं हमें आगामी चुनाव की तैयारियां करनी होंगी भले ही वे चुनाव कभी हों । माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से भली प्रकार परिचित होना चाहिये । और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में काफी जानकारी मिल जानी चाहिये ।

सदस्यों ने इस प्रकार विचार व्यक्त किये हैं मानो चुनाव बहुत दूर हों, आगामी चुनाव १९६७ में हो जायेंगे । केरल विधान सभा के चुनाव १९६५ में हो जायेंगे, अतः वहां निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना आवश्यक ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमें विधेयक की सीमा में जम्मू तथा काश्मीर को भी शामिल करना चाहिये । तथापि हमें संविधान की अनुच्छेद ३७० को भी याद रखना होगा जिस के अनुसार हमें जम्मू और काश्मीर विधान सभी की सहमति लेना अनिवार्या है । यदि लोक-सभा में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी है तो इस मामले में राज्य विधान सभा को कार्यवाही करनी चाहिये ।

यदि जम्मू और काश्मीर विधान मण्डल निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि लोक-सभा में भेजना चाहता है, तो जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और काश्मीर के प्रतिनिधियों की संख्या ४ होगी ६ नहीं । यह स्थिति भी याद रखनी है ।

एक माननीय सदस्य ने मुझ से नागालैण्ड राज्य पर इस अधिनियम के लागू होने के बारे में पूछा था । मैंने इस स्थिति का पहिले ही दिन, जब कि हमने इस विधेयक पर विचार करना आरम्भ किया था, स्पष्टीकरण कर दिया था । इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नागालैण्ड राज्य अभी नहीं बना है, क्योंकि यह संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक के अनुमोदन पर निर्भर है राज्य के बनने पर निर्वाचन क्षेत्र के प्रारम्भिक परिसीमन की कोई आवश्यकता न होगी क्योंकि समूचे राज्य के लिए केवल एक निर्वाचन-क्षेत्र होगा । स्वयं नागालैण्ड अधिनियम में ही एक विशेष उपबन्ध है जिससे निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया है वह ६० सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करे ।

संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के बारे में भी मैंने पिछली बार स्थिति स्पष्ट की थी । संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र अनुच्छेद ८१(१)(क) के क्षेत्राधिकार में नहीं आते अपितु अनुच्छेद ८१(१)(ख) के अन्तर्गत आते हैं । संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को २० स्थान दिये गये हैं और वे पहले ही भर गये हैं । पांडिचेरी को भी प्रतिनिधित्व मिलना है । संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक में उल्लेख है कि संख्या २० से ढ़ाकर २५ कर दी जाये और अपेक्षित संख्या में, अर्थात् आठ राज्यों द्वारा उसके अनुमोदित होने पर इन २५ स्थानों को विभिन्न संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में बांटने का काम संसदीय विधान द्वारा निर्देशित रुप में किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : जिस प्रकार राज्यों के विषय में किया गया है, उसी प्रकार यूनियन टेरीटरीज़ में टेरीटोरियल कौंसिलज से एक एक, दो दो प्रतिनिधि लेने में माननीय मंत्री जी को क्या अड़चन है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र :** श्री त्यागी ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्थानों में साधारण रुप में परिवर्त्तन न किये जायें । यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आसानी से परिवर्त्तन नहीं किया जाये । दूसरे आम चुनावों पर निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन से विदित होगा कि ऐसी कार्यवाही केवल अटल परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये । देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों में कोई असाधारण परिवर्तन होने की भी कोई संभावना नहीं है । अनुच्छेद ८१ में उल्लेख है कि इस सभा में ५०० निर्वाचित सदस्य होने चाहियें । इसमें विभिन्न राज्यों के ४८१ निर्वाचित सदस्य और ६ सदस्य जम्मू और काश्मीर के हैं । नागालैण्ड अधिनियम के अन्तर्गत एक और सदस्य आ जायेंगे और योग संख्या ४८८ हो जायेगी । अधिकतम संख्या ५०० पूरी होती है या नहीं, एक भिन्न बात है परन्तु अधिक से अधिक जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लोक-सभा में १२ स्थान और बढ़ाये जा सकते हैं । गुणकों का उल्लेख स्वयं अधिनियम में है । अतः अधिक परिवर्तन की या विभिन्न राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के अधिक विभाजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, चाहे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाये । एक सुझाव दिया गया था कि किसी भी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सीमित होनी चाहिये । यदि सभा व्यस्क मतदान के सिद्धान्त को, जो संविधान में उपबन्धित है, मिटाने का निश्चय न करे तो यह कार्यवाही नहीं की जा सकती । किसी समय स्वयं संविधान में उपबन्ध था कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ७,५०,००० से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिये, परन्तु जन संख्या में वृद्धि होने से यह अधिकतम संख्या नहीं रखी जा सकी और इस कारण संविधान में परिवतन किया गया । प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : संसद् में स्थान बढ़ा दीजिये ।

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : बशर्ते कि सभा अनुच्छेद ८१ में संशोधन कर दे ।

कुछ व्यक्ति सम्बद्ध सदस्य नहीं चाहते । कुछ अन्य व्यक्ति चाहते हैं कि संख्या ७ से बढ़कर ११, १३ या २० तक कर दी जाये ; अनेक संशोधन हैं । उद्देश्य यह है कि उन्हें आयोग के कार्य से सम्बद्ध किया जाये क्योंकि उन्हें विशेष स्थानीय जानकारी है दूसरे आम चुनाव की रिपोर्ट से पता लगेगा कि आरम्भ से अन्त तक सभी अवस्थाओं में संबद्ध सदस्यों के मत पर विचार किया गया था ।

वे चाहते हैं कि संबद्ध सदस्यों को मतदान करने का अधिकार दिया जाये । मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इससे आयोग की स्वतन्त्रता और अर्ध-न्यायिक विशेषता समाप्त हो जायेगी । विधेयक में उल्लेख है कि सदस्यों का चुनाव करते समय, अध्यक्ष महोदय सभा के गठन का उचित ध्यान रखेंगे । पुराने अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुसार संख्या भिन्न थी । फिर भाग 'क' 'ख' और 'ग के राज्य थे । कुछ राज्यों में यह संख्या २ थी, कुछ में ७ थी जो अधिकतम संख्या थी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मध्य प्रदेश में यह संख्या ८ थी ।

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र :** मुझे खेद है । अब, हमने सभी राज्यों के लिए समान संख्या ८ रखने का प्रयत्न किया है । यहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति को या प्रत्येक राजनीतिक दल को प्रतिनिधि देने का कोई प्रश्न ही नहीं है । कुछ दल हैं जिनका सभा में एक ही सदस्य है, यह एक असंभव स्थिति है । अतः, पिछले आयोग से जो सदस्य सम्बद्ध रहे थे उनके नाम दे दिये गये हैं और वे काफी प्रतिनिधिध्यात्मक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभूधेन्द्र मिश्र]

मैं ऐसे निकाय के पक्ष में नहीं हूं जिसमें तीन स्थायी सदस्य और १२ या २० संबद्ध सदस्य हों जिससे वह अशोभनीय हो जाये । परन्तु यदि सभा का यह मत हो कि न्याय करने के लिए संख्या बढ़ाकर ९ करना आवश्यक है, तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं । यह आग्रह किया गया है कि सभी राज्यों के लिए गुणज समान हों । मैं संविधान के अनुच्छेद ८२(२) और १७० का उल्लेख करता हूं अनुच्छेद ८१(२)(क) में उल्लेख है :

"लोक-सभा में प्रत्येक राज्य को स्थानों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उस संख्या और राज्य की जन संख्या के बीच अनुपात, यथा व्यवहार्य रूप में सभी राज्यों के लिए समान रहे ।"

मैं श्री कामत का संशोधन लेकर अपनी बात की व्याख्या कहूंगा । वह चाहते हैं कि संख्या.६ से ८ तक रहे । उत्तर प्रदेश सभा में ४३ सदस्य हैं और हमारे संविधान के अनुच्छेद १७० में उल्लेख है कि किसी भी सभा में ५०० से अधिक सदस्य न हों वर्तमान गुणज पांच आता है । यदि न्यूनतम संशोधन के अनुसार छः निर्धारित किया जाये और यदि वहां सदस्यता ५०० से अधिक हो जाये, तो कठिनाइयां होंगी । हम दूसरे राज्य को लेते हैं जिसका प्रतिनिधित्व न्यूनतम है । लोक-सभा में आसाम के १२ सदस्य हैं; गुणज ९ होता है क्योंकि राज्य की विधान सभा में १०८ सदस्य हैं यदि गुणज कमकर दिया जाये, तो स्थानों की संख्या भी १०८ से घटाकर ९६ करनी होगी । सामान्य सिद्धान्त स्वयं संविधान में विद्यमान है ; जहां तक संभव है आयोग उस अनुपात की गणना करेगा । हम कोई गुणज निर्धारित नहीं कर सकते । यह काम हमें आयोग पर अवश्य छोड़ना चाहिये । अतः स्वयं विधेयक में यह उपबन्ध करना कि गुणज छः, सात या आठ हो, कठिनाई पैदा करेगा । जैसा कि मैं कह चुका हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में इससे संविधान का उल्लंघन होगा, क्योंकि हमें संविधान के अनुच्छेद १०७ में स्वीकृत अधिकतम संख्या से आगे जाना होगा अर्थात्, किसी भी राज्य की विधान सभा में सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं होनी चाहिये ये सामान्य प्रश्न है जो उठाये गये हैं और जिनका मैंने उत्तर दे दिया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारी-बारी से आने के प्रश्न का समर्थन भी हुआ है और विरोध भी । निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में इस प्रश्न पर भी सविस्तार विचार विमर्श किया गया है और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या ७५ की ओर आकर्षित करता हूं । स्थानों को घुमाना और जहां अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां बहुसंख्या में, उन क्षेत्रों को वंचित करना कोई अच्छा सिद्धान्त नहीं है । उन क्षेत्रों को प्रतिनिधान से वंचित करना और उन पर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का उम्मीदवार थोपना, जहां वे जातियां बहुसंख्या में नहीं हैं, अच्छी बात नहीं है । अतः ऐतिहासिक तथा भोगौलिक तथ्यों का ध्यान रख कर दो सिद्धान्त स्वीकार किये गये हैं अर्थात् जहां अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या अधिक है, वहां उन के स्थानों की संख्या निर्धारित कर दी जाये । जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, समूचे राज्य में बांटी जा सकती है और फिर एक स्थान वहां बनाया जा सकता है जहां उन की संख्या अनुपातिक रूप से अधिक हो । वह संख्या ज्ञात कर ली गई है ।

श्री त्यागी ने एक बात उठाई थी—अब वह यहां नहीं हैं—और जानना चाहते थे कि खंड ९(१)(घ) में अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में शब्द "सर्वाधिक" का सम्बन्ध जिला से होगा या राज्य से । मैं केवल यह कहूंगा कि जनगणना रिपोर्ट,में जन संख्या का ध्यान रखा जाता है । मान लीजिये, किसी राज्य में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की गणना से, और

समूचे राज्य की जनगणना से यदि यह निश्चित किया जाता है कि राज्य में चार अनुसूचित आदिम-जातियों के स्थान हों, तो सब से पहिले संख्या का निर्धारण होगा और फिर चार स्थान उन क्षेत्रों में बांटे जाते हैं जहां अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक हो। यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

एक सुझाव दिया गया है कि पंजाब के कुछ प्रदेशों में लोक-सभा के लिए नाम निर्देशन होना चाहिये। इस से संविधान के अनुच्छेद १७०(१) का उल्लंघन होगा। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब मैं सभा से विधेयक को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री भक्त दर्शन : जो संघीय क्षेत्र हैं, यूनियन टैरिटरीज़ हैं, वहां टैरिटोरियल काउंसिल्ज़ से एक-एक या दो दो प्रतिनिधि एसोसिएट मैम्बर्ज़ के तौर पर, सहयोगी सदस्यों के तौर पर लेने में क्या कठिनाई है ? कम से कम इस की व्यवस्था तो कुछ होनी चाहिये।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : संघीय क्षेत्र इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आते और इस कारण सम्बद्ध सदस्यों का प्रश्न कहां है ? यदि संघीय क्षेत्र इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आ जायें और परिसीमन आयोग को इन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का काम दिया जाये, तो यह बात मेरी समझ में आ सकती है।

श्री हेमराज : एक पार्लियामैंटरी कांस्टिट्युएंसी में अगर एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल जुदा हो तो उस में कम से कम पापुलेशन का फिक्सेशन कोई हो जायगा या नहीं, कम से कम एक असैम्बली सीट के लिए ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : अधिकतम या न्यूनतम कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। संचार आदि के बारे में काफी कहा गया है।

†**श्री महेश्वर नायक** (मयूरगज) : खंड १० उपखंड (३) में उपबन्ध है कि "ऐसे प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र ऐसा प्रत्येक आदेश लोक-सभा और सम्बन्धित राज्यों की विधान सभा में रखा जायेगा।" क्या विधान सभाओं और लोक-सभा को उन आदेशों में संशोधन करने का अधिकार है ?

†**श्री विभूधेन्द्र मिश्र** : नहीं, श्रीमान।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि लोक-सभा की सीटों के राज्यों में आवंटन प्रत्येक राज्य की विधान सभा की कुल सीटों, लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिये प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों में बांटने का पुनः समायोजन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड २ के चार संशोधन हैं। श्री विभूति मिश्र यहां नहीं हैं। अतः संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत नहीं होता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या २ और ३ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

मेरे पहिले संशोधन में जम्मू तथा काश्मीर राज्य और नागालैण्ड का उल्लेख निकालने को कहा गया है, और दूसरा केवल "जम्मू तथा काश्मीर" शब्द निकालने व 'नागालैण्ड' रखने के बारे में है। नागालैण्ड राज्य अधिनियम का फिर से अध्ययन करने के बाद, मैं सभा से संशोधन संख्या २ को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

अब संशोधन संख्या ३ आता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं। मैं ने तीसरी लोक-सभा के पहिले सत्र में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बारे में, विशेष कर लोक-सभा में प्रतिनिधान के बारे में प्रश्न पूछा था और बाद में गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि इस में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है। उन्हों ने उल्लेख किया था कि उन्हें जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री से पत्र मिला है जिस में उन्हों ने इस बात से सहमति प्रकट की है कि लोक-सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से स्थान भरे जा सकते हैं। ९ सितम्बर, १९६२ को उन्हों ने सभा को यह भी बताया था कि उन्हें इस मामले में जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री से बहुत जल्दी सूचना मिलने की आशा है और यह कि वह सिद्धान्त रूप में लोक-सभा में जम्मू तथा काश्मीर के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात से सहमत हो गये हैं। अब तक हमें बताया गया है कि निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार उस राज्य पर लागू कर दिया गया है। इस का अर्थ है कि हम ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य को निर्वाचन के मामले में शेष भारत में मिलाने की प्रथम कार्यवाही की है। संविधान का निर्वाचन सम्बन्धी अनुच्छेद जम्मू तथा काश्मीर पर लागू कर दिया गया है। यदि इस मामले में कार्यवाही की जाती है और यदि जम्मू तथा काश्मीर पर यह विधेयक लागू किया जाता है, तो वह समय जिस का उल्लेख गृह-कार्य मंत्री ने जून तथा सितम्बर में मेरे और अन्य मित्रों के प्रश्नों के उत्तरों में किया था शीघ्र ही आ जायेगा। काश्मीर राज्य भी इस में शामिल कर लिया जाये। हम समूचे देश का एकीकरण चाहते हैं और जम्मू तथा काश्मीर देश का अभिन्न अंग है।

मेरे संशोधन में एक और बात का उल्लेख है कि उस राज्य के प्रतिनिधियों को परिसीमन आयोग के कार्य से सम्बद्ध किया जाये ताकि परिसीमन आयोग के कार्य आरम्भ करने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए उस राज्य की संविधान सभा और सरकार की अनुमति प्राप्त हो जायेगी और जब आयोग अपना कार्य आरम्भ करेगा, तो उस समय जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रतिनिधि आयोग के कार्य में भाग लेंगे। अतः मैं सभा से इस संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं ने भी यही आशा व्यक्त की है। परन्तु वर्तमान विधान के अनुसार, जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार की अनुमति न मिलने तक, इसे शामिल नहीं किया जा सकता। संविधान (जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होना) आदेश, १९५४ में उल्लेख है :

> "अनुच्छेद ८१ जम्मू तथा काश्मीर पर इस रूपभेद के साथ लागू होगा कि लोक-सभा में उस राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य के विधान मण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।"

अतः अनुच्छेद ३७० में उचित संशोधन करना चाहिये। अतः जब तक जम्मू तथा काश्मीर सरकार से सूचना न मिले, चाहे वह सूचना कुछ भी हो और चाहे जो आशा व्यक्त की गई हो, यह लागू नहीं होगा—हमें भी आशा है कि जम्मू तथा काश्मीर पर भी यह विधि लागू होनी चाहिये। यदि यह सूचना आ जाती है तो मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस अधिनियम में सदैव संशोधन

---

†मूल अंग्रेजी में

कर सकते हैं और उन्हें शामिल कर सकते हैं । केवल इस कारण कि जम्मू तथा काश्मीर शामिल नहीं हैं, इस का कोई कारण नहीं है कि अन्य राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन न हो । अतः मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अभी तो हम जम्मू तथा काश्मीर के प्रतिनिधियों को परिसीमन आयोग के कार्य से सम्बद्ध करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद में संशोधन न होने तक यह कैसे हो सकता है । क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन संख्या २ वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां ।

संशोधन संख्या २ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ और ४ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ५---सम्बद्ध सदस्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कौन कौन संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ४० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान, मैं अपने संशोधन संख्या ४, ६, ८ और १० प्रस्तुत करता हूं ।

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १६ में---"seven" ("सात") के स्थान पर "nine" ("नौ") रख दिया जाये । (५)

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २० में--"three" ("तीन") के स्थान पर "four" ("चार") रख दिया जाये । (७)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

(३) पृष्ठ २, पंक्ति २१ में—"four" ("चार") के स्थान पर "five" ("पांच") रख दिया जाये । (९)

†**श्री ह० च० सौय** : श्रीमान्, अपने संशोधन संख्या ४१, ४२, ४३, ४४ और ४५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दे० शि० पाटिल** (यवतमाल): श्रीमान, मैं अपने संशोधन संख्या १३ और ३१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब ये संशोधन और खण्ड सभा के सामने हैं ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मेरा संशोधन संख्या १ खण्ड ५(१) के लिए है। मेरे संशोधन में संख्या ७ को बढ़ाकर १३ करने के लिए कहा गया है। संख्या बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सम्बद्ध सदस्य के रूप में नाम निर्देशित होने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी हो जाये कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में सभी दलों तथा सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाये। मेरा सुझाव है कि सम्बद्ध सदस्य के रूप में किसी भी दल का एक से अधिक सदस्य न होना चाहिये । संसद्–सदस्य और विधान समस्याओं के सदस्य, जो सम्बद्ध सदस्य बनेंगे, भौगोलिक स्थितियों से भली भान्ति परिचित होंगे क्योंकि वे निर्वाचनों के सम्बद्ध गावों में अनेक बार गये होंगे। अतः मेरा सुझाव है कि व्यक्तियों की संख्या ७ से बढ़ाकर १२ कर दी जाये और पंक्ति २० में संख्या ३ बढ़ाकर ७ और पंक्ति ३१ में संख्या ४ बढ़ाकर ५ कर दी जाये । माननीय उपमंत्री इस संख्या को बढ़ाकर ९ करने के लिए तैयार हैं। श्री कामत का सुझाव है कि यह संख्या ११ कर दी जाये। शायद माननीय उपमंत्री यह संख्या ११ कर सकें। अतः इन परिस्थितियों में अपने संशोधनों पर जोर नहीं देता परन्तु माननीय उपमंत्री की स्वीकृति के लिए श्री कामत के संशोधन की सिफारिश करता हूँ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखा है कि कितनी बड़ी स्टेट है और उसका कितना बड़ा क्षेत्र है। उसी के मुताबिक वहां के लिए आदमी बढ़ाने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान नहीं रखा है जो कि इतनी बड़ी स्टेट है । वह शायद समझते हैं कि वहां के लोगों का अलौकिक ज्ञान है। वह आन दी स्पाट ज्ञान के बारे में कहते हैं। तो एक आदमी को कितने क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है । किसी के लिए भी इतने बड़े क्षेत्र का ज्ञान सम्भव नहीं है । इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए आदमी बढ़ाने चाहिएं । इसीलिए जान बूझ कर मैंने उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा नम्बर के लिए कहा है। अगर मंत्री महोदय समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के महानुभाव विशेष शक्ति रखते हैं और थोड़े ही आदमी वहां काम कर लेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा।

मेरा तो यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थितियों के देखते हुए वहां के लिए ज्यादा आदमी होने चाहिएं। पर मैं समझता हूं, जैसा कि अभी रेड्डी साहब ने कहा है मंत्री महोदय के लिए ९ से ११ सदस्य करना ज्यादा आसान होगा। मैंने जो नम्बर

---

†मूल अंग्रेजी में

२१ का बताया है वह शायद उत्तर प्रदेश वाले भी ज्यादा बड़ा समझें। लेकिन मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को देखते हुए उसके लिए ज्यादा आदमी होने चाहिए।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): उत्तर प्रदेश वालों की शक्ति बहुत ज्यादा है।

श्री काशीराम गुप्त : ऐसा है तो बहुत अच्छा है। यदि उनकी शक्ति ज्यादा है तो सबके लिए ११ कर दीजिए।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैंने अपने संशोधन संख्या ४ से ६ के द्वारा परिसीमन आयोग के संबद्ध सदस्यों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है और मैं समझता हूं कि मा० मंत्री ने उनकी संख्या को ७ से बढ़कर ६ करना स्वीकार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि इसे बढ़ाकर ११ कर दिया जाए जो क्रिकेट के ग्यारह खिलाड़ियों के बराबर हो जाएं।

विधेयक में उपबंध है कि संबद्ध सदस्यों को रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। मुझे इसमें कोई हानि दिखाई नहीं देती कि इन सदस्यों को भी किसी विषय पर चर्चा के पश्चात् मत देने का अधिकार दिया जाय और उस परिणाम को निर्वाचन आयोग का फैसला माना जाए। मैं समझता हूं कि निर्वाचन अधिकारियों को इसमें आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको उन सदस्यों के साथ परामर्श का लाभ प्राप्त हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि मा० मंत्री इस को स्वीकार करेंगे और सभा भी इसे स्वीकार करेगी।

श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज नम्बर ५ पर मेरा अमेंडमैंट नम्बर १३ है जिसमें मैंने चाहा है कि लोक सभा के जो तीन एसोशिएट मेम्बर्स होंगे उनमें एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर हो। इसका कारण यह है कि क्लाज ६ जो है उसमें एसोशिएट मैम्बर्स का काम दिया गया है और वह फंक्शन शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मैम्बर ही कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है ऐसा मेरा कहना नहीं है लेकिन लोकल ऐरिया की कांस्टीटुएंसी की इनफारमेशन उनको ज्यादा रह सकती है।

क्लाज ६(१) (डी) में यह दिया हुआ है कि निर्वाचन क्षेत्र, जहां स्थान जो अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं, उन स्थानों में होंगे जहां उनकी जन संख्या कुल जन संख्या के अनुपात में अधिकतम होती है।

यह काम शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मैम्बर अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो एसोशिएट मैम्बर्स बने हैं उनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक मैम्बर रहना चाहिए।

कानस्टिच्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ऐरिया इस तरह डिफाइन किया गया है :—

अनुसूचित क्षेत्र वह है जिसे राष्ट्रपति ने इस रूप में घोषित किया है।

शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐरिया प्रेसिडेंट अपने आडर से डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जहां तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है इसको कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। शेड्यूल एरिया एण्ड शेड्यूल ट्राइब्स कमिशन की रिपोर्ट चैप्टर १ में लिखा है :—

कि अनुसूचित आदिम जाति शब्द की परिभाषा न संविधान में है और न कहीं और "

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० शि० पाटिल]

शेडयूल्ड ऐरिया में जो शेडयूल्ड ट्राइब्स रहती हैं उनकी संख्या एक शेडयूल्ड ट्राइब्स कांस्टीटुएंसी बनाने के वक्त ध्यान में रक्खी जाती है लेकिन शेडयूल्ड एरिया के बाहर जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनको ध्यान में नहीं रक्खा जाता है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जाती की स्थिति वह ऐसी हो जाती है कि वह शेडयूल्ड ट्राइब्स भी नहीं माने जाते हैं और नौन शेडयूल्ड ट्राइब्स भी नहीं माने जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए मैं ने यह सुझाव यहां पर रक्खा है। यह मैं नहीं कहता लेकिन शेडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन के अध्यक्ष श्री ढेबर ने प्रेसिडेंट आफ इंडिया को ४ आक्टोबर को पत्र लिखा है। उसमें एक जगह यह लिखा है :—

> उसी श्रेणी की आदिम जाति को शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की आदिम जातियों के बारे में विशेष रुप से विचार किया जाना चाहिये।

इतना ही नहीं बल्कि संविधान परिषद् की सब-कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उसने भी पेज ४०१ पर यह कहा है :—

> संविधान सभा ने सिफारिश की थी कि अन्य भागों के आदिम जाति लोगों को भी रक्षण प्राप्त होना चाहिये।

इसको पढ़ने का मेरा मतलब यही था नॉन शेडयूल एरियास में रहने वाले शेंडयूल ट्राइब को प्रतिनिधित्व देने के लिए कांस्टीटुएंसीज उन सब लोगों की होनी चाहिए और सबको बराबर रिप्रेंजेंटेशन मिलना चाहिए। लोक-सभा के लिए और राज्य विधान सभाओं के लिए जो असुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे उसके लिए उनको कंडिडेट रहने का हक मिलना चाहिए। इसी हेतु मैंने अपना अमैंडमैंट रक्खा है।

मेरा जो दूसरा अमैंडमैंट है वह क्लाज ५(४) पर ३१ नम्बर का है। उसमें मैंने यह चाहा है कि हालांकि उनको वोटिंग राइट नहीं होगा और वह कमिशन के किसी फैसले पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे लेकिन वे कमिशन की बैठकों को ऐटैंड करने और प्रोसीडिंग्ज में पार्ट लेने के इनटाइटिल्ड होंगे।

किसी संबद्ध सदस्य को मत देने या रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का हक नहीं होगा

इसमें मैंने यह अमैंडमैंट दिया है :—

> किंतु उनको आयोग की बैठकों में बैठने का हक होगा।

मैं इसके बारे में सदन् का वक्त नहीं लेना चाहता कि एसोशिएट मैम्बर्स के क्या क्या फंक्शन हों। जैसा कि विधेयक का संकेत है एसोशिएट मैम्बर्स को जो निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में ज्ञान और मालूमात हों वह कमिशन को दें। वह अपनी राय कमिशन को लिख कर दे सकते हैं। लेकिन यह विधेयक के समय नहीं थे वह अपनी राय कमिशन की बैठक में शामिल होकर दे सकते हैं। संकेत यह है कि वह बैठक में हाजिर रहें और वहां जो उनकी राय और व्यू हो उसे वे दें। इसीलिए उनको यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अपना डिस्सैंटिंग प्रपोजल भेज सकते हैं। यदि यह संकेत कानून का है तो एसोशिएट मैम्बर्स को कम से कम सिटिंग में शामिल होने का अधिकार तो देना चाहिए। मतदान वे भले ही न कर सकें लेकिन वह सिटिंग्स को अटैंड करने और प्रोसीडिंग्ज में पार्ट लेने के लिए अवश्य

इनटाइटिल्ड हों। मैंने अपने अमैंडमेंट में यही चीज चाही है। अगर हमारी यह राय हो और हमारा यह मत हो तो कानून में ऐसी तबदीली कर दी जाये जिससे कि वह इनटाइटिल्ड हो जांय। कई जगह कमीशन के सीटिंग को सहयोजित मेंम्बर को नहीं बुलाया गया इस का मुझे अनुभव है और हम देखते हैं कि कहीं उनको नोटिस नहीं मिलता है इसलिए मैं चाहता हूं कि कानून में एक प्राविजन हो जाय कि उनको आयोग की बैठकों में आने और कार्यवाही में भाग लेने का हक होगा। यही मेरा सुझाव है।

†**श्री ह० चं० सोय** (सिंहभूम) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य संबद्ध सदस्यों की संख्या बढ़ाने को मान गये हैं। मैं चाहता हूं कि उन को बढ़ाकर ग्यारह या तेरह या चौदह कर दिया दिया जाये, उन में एक सदस्य अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों का होना चाहिये ताकि वह अनुसूचित जातियों के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। आशा करता हूं कि इसे मान लिया जायेगा ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं माननीय विधि उपमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभा के इस पक्ष के सुझाव स्वीकार किये हैं और खुले मन का सबूत दिया है। संबद्ध सदस्यों की संख्या ९ तक बढ़ाना पर्याप्त रहेगा।

एक माननीय सदस्य राज्य के आकार तथा महत्व के आधार पर सदस्यों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं किन्तु संधानीय संविधान में सब एकांशों का दर्जा समान माना जाता है। अतः सब एकांशों के लिये समानता होनी चाहिये चाहे उसकी संख्या का आकार छोटा है या बड़ा।

कुछ सदस्य संबद्ध सदस्यों को मत देने के अधिकार देने के पक्ष में हैं। किन्तु मैं अपने अनुभव से कहूंगा क्योंकि मैं कई आयोगों आदि के सामने साक्ष्य दे चुका हूं। वास्तव मैं संबद्ध सदस्य आयोग को ठीक सूचना देने तथा उस प्रान्त की विशेष आवश्यकता बताने के उद्देश्य से रखे जाते हैं। फिर आयोग के सदस्य अपना निर्णय स्वयं करते हैं। ये सम्बद्ध सदस्य निर्णय करने के लिये सदस्य के तौर पर नियुक्त नहीं किये जाते। अतः उन को मत का अधिकार न देना ही ठीक है। उन का काम आयोग के समक्ष सही रूप में अपने विचार रख देना है।

उन सदस्यों को विमति टिप्पणी लिखने का अधिकार देने का उपबंध ठीक है, क्योंकि वह चीज सभा के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं सदस्यों की संख्या और बढ़ाने के लिये श्री कामत के संशोधन के पक्ष में हूं।

संबद्ध सदस्यों का काम केवल सूचना सामने रखना नहीं है—यह तो साक्ष्यों द्वारा किया जा सकता है। ये सदस्य आयोग के अंग होंगे, अतः इन को मत देने का और कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार होना चाहिये ।

आयोग के सदस्य की अनुपस्थिति में संबद्ध सदस्य को चर्चा में भाग लेने का हक देने से उनका महत्व स्वीकार किया गया है। उन को विमति टिप्पण लिखने का हक भी दिया गया है। अतः उनको मत देने का अधिकार भी होना चाहिये चाहे वे रिपोर्ट पर हस्ताक्षर न भी करें। माननीय मंत्री को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** मैं ने उत्तर देते समय इन सब बातों का उत्तर दिया था। विरोधी सदस्य से कोई सुझाव आया है इसी कारण उस का विरोध करने का यह सवाल नहीं है। प्रत्येक सुझाव के गुण दोषों पर विचार किया जाता है। संबद्ध सदस्यों की संख्या बढ़ाने के मामले पर विचार करते समय मैं ने अपने कारण बताये थे। अब डा० अणे ने मेरा समर्थन कर दिया है। नौ से अधिक सदस्य बहुत अधिक हो जायेंगे। इस की आवश्यकता भी नहीं। तीन सदस्य और ९ संबद्ध सदस्य काफी हैं। कोई भी व्यक्ति, संसद् या विधान का सदस्य, आयोग के सामने अपने विचार प्रकट कर सकता है। अतः मैं श्री कामत के संशोधन ५, ७, ९ के अतिरिक्त इन संशोधनों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं।

मत देने के हक के बारे में मैं बता चुका हूं कि इससे आयोग का अर्ध न्यायिक स्वरूप नहीं रहेगा, जो इसे अब प्राप्त है। समूचे विधेयक में संबद्ध सदस्यों का महत्व बताया गया है। प्रत्येक स्तर पर उनके मत पर ध्यान दिया जायेगा। आयोग के कार्य के लिये उन को मत देने का हक देना वांछनीय नहीं होगा। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

विधेयक में विभिन्न राजनीतिक दलों या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों को प्रतिनिधित्व देने का कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया जा सकता। विधि में कहा है कि नाम-निर्देशन के समय अध्यक्ष सभा की रचना को ध्यान में रखेगा। इतना पर्याप्त होगा। इस कारण मैं ५, ७, ९ को छोड़ कर सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

संशोधन संख्या ४०, १, ४, ६, ८ और ४१ सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति १९ में 'seven' ('सात') के स्थान पर 'nine' ('नौ') रख दिया जाय। (५)

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २० में 'three' ('तीन') के स्थान पर 'four' ('चार') रख दिया जाये (७)

(३) पृष्ठ २, पंक्ति २१ में 'four' ('चार') के स्थान पर 'five' ('पांच') रख दिया जाये। (९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन संख्या ४२, १३, ४३, ४४ और ४५, सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिय रखा गया। सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २७: विपक्ष में ७८

संशोधन संख्या १० अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधित संख्या ३१ मतदान क लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

" कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** खण्ड ६ के सम्बन्ध में संशोधन कर्ता सदस्य अनुपस्थित हैं । अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७ (आयोग की प्रक्रिया तथा शक्तियां)

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं अपने संशोधन संख्या ११, १२, १५ और १६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : संशोधनों का उद्देश्य सभापति या सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में है कि सभापति की अनुपस्थिति में बैठक के सभापतित्व के लिये अमुक प्रक्रिया अपनाई जाये । मैं संशोधन संख्या १२ को वापिस लेकर १६ के मतदान के लिये रखे जाने पर जोर देना चाहता हूं कि सभापति की अनुपस्थिति में, धारा ३ के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य उस बैठक का सभापति होगा ताकि आयोग का काम न रुके ।

†**श्री प्रभात कार :** खण्ड ७ में यह उपबंध नहीं कि सभापति की अनुपस्थिति में क्या होगा, क्या कार्रवाई चलेगी या नहीं । अतः श्री कामत का संशोधन जरूरी है कि सभापति की अनुपस्थिति में कार्रवाई जारी रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभापति भी आयोग का सदस्य है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** खण्ड ३ के अनुसार तीन सदस्यों में से एक सभापति होगा । उसकी अनुपस्थिति में एक जज और दूसरा मुख्य निर्वाचक आयुक्त बचेगा । सभापति या सदस्य की अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार या अध्यक्ष द्वारा उस स्थान की पूर्ति का उपबंध खण्ड ६ में है । अतः आयोग पुनः काम करेगा यही खण्ड ३ और ६ से निष्कर्ष निकलता है ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** क्योंकि आयोग में तीन सदस्य होंगे और सभापति भी एक सदस्य होगा, संशोधन संख्या ११ अनावश्यक है, शब्द 'सभापति' रखने की जरूरत नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि सभापति की अनुपस्थिति में शेष दो सदस्यों में मतभेद हो, तो क्या होगा ? क्या बहुमत की बात निर्णायक होगी ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** इसीलिये यह उपबंध है कि यह उपबंध केवल अस्थायी अनुपस्थिति में लागू होगा । श्री कामत अस्थायी अनुपस्थिति में किसी को सभापति निर्वाचित करना चाहते हैं । इससे वह बात पूरी नहीं होगी जो हम सोचते हैं अर्थात् रिक्त स्थान की आकस्मिकता और उसके लिये खण्ड ६ में उपबंध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवतः इरादा यह है कि हमेशा तीन सदस्य होंगे ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** निर्णय करने के लिये यह आवश्यक होगा । तर्क सुनने या साक्ष्य लेते समय सभापति की जरूरत नहीं । आयोग अलग अलग भी काम कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ काम सौंपा जाये, अतः यह किसी उद्देश्य के लिये किया जा सकता है । खण्ड ७(३) में ये शक्तियां दी गई हैं । निर्णय करते समय, मतभेद होने पर बहुमत का प्रश्न उठेगा, अन्यथा नहीं । यदि चर्चा में दो सदस्य हैं और वे सहमत हैं तो वे निश्चय ही निर्णय कर सकते हैं । इसका उपबंध उपखण्ड (४) में है क्योंकि बहुमत भारी होगा । तीन की सदस्यता में दो का बहुमत होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब दो सदस्य हों और उन में मतभेद हो तो तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी ।

†**श्री प्रभात कार :** यह कहीं नहीं कहा कि निर्णय के समय तीन उपस्थित होने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि दो में मतभेद होगा, तो निर्णय नहीं किया जा सकता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** शेष दो सदस्यों में कौन सभापतित्व करेगा ? क्या निर्वाचन आयुक्त सभापतित्व नहीं करेगा ?

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** अवशिष्ट जज सभापति होगा ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** संशोधन की कोई जरूरत नहीं है । संशोधन संख्या १५ सामान्य खण्ड अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है क्योंकि वहां परिभाषा में संस्था या संगठन शामिल है ।

संशोधन संख्या १२, और १५ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ और १६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या १७, ४७, ४८, ४९ और ५० प्रस्तुत करता हूं । संशोधन संख्या ५० इस प्रकार है :

पृष्ठ ४, पंक्ति ५,—"and" ("और") शब्द के बाद "the" ("दी") शब्द जोड़ दिया जाय । (५०)

†**श्री हेम राज :** मैं संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ह० च० सोय : मैं संशोधन संख्या ५२ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह महत्वपूर्ण खंड है और मेरे संशोधन तुलनात्मक रूप में छोटे हैं, अतः उनको स्वीकार कर लिया जाये। इसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मसौदा कार को भविष्य में ठीक अंग्रेजी लिखनी चाहिये। मैंने उत्तम अंग्रेजी का संशोधन रखा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी उपबन्ध के बारे में मैं कहूंगा कि क्यों कि संसद और राज्यों की विधान सभाओं ने उनके आरक्षण के लिये इस वर्ष तक अवधि बढ़ाना स्वीकार किया है। यदि इस का विस्तार न किया जाये तो १९७२ के सामान्य निर्वाचन में आरक्षण का खंड संविधान में समाप्त हो जायेगा। इस उपबंध की कार्यान्वित के सम्बन्ध में कुछ न्याय होना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिये एक अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित थे अतः जो लोग इन जातियों के नहीं थे उनको यह आपत्ति थी कि वह निर्वाचन क्षेत्र तो हरिजन निर्वाचित क्षेत्र बन गये हैं हालांकि वहां इन जातियों की जनसंख्या २० प्रतिशत से भी कम थी। अतः लोगों को वहां के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं रही। मैं इस दृष्टिकोण से तो सहमत नहीं। हमें अनुसूचित जाति आदि का प्रश्न लेकर एक संयुक्त राष्ट्र का विचार रखना चाहिये। ये जातियां भी राष्ट्र का अंग हैं और उनको भी अन्यों के समान अधिकार हैं। अतः उन में तथा अन्य जातियों के बीच कोई भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये। इन जातियों के अपने हित के लिये भी इन के लिये आरक्षण की आवश्यकता नहीं। किन्तु दुर्भाग्य से आरक्षण निहित स्वार्थ बन गया है। अतः इन जातियों को आरक्षण का विरोध करना चाहिये ताकि अधिकाधिक लोग प्रजातन्त्र में दिलचस्पी ले सकें। अतः इन अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता ३० से अधिक होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** इतनी प्रतिशतता रख कर कहीं भी इन जातियों के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाये जा सकते।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं इस में अनिवार्यता नहीं चाहता किन्तु जहां तक हो सके इतनी प्रतिशतता रखी जाये ताकि देश को पता लगे कि संसद आरक्षण को समाप्त करने के लिये यह विधि बना रही है।

दो-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में तो अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये आरक्षण की बात ठीक न थी, किन्तु एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं। परिसीमन आयोग में भी इस बात पर विचार किया जायेगा, किन्तु मैं विधान में भी इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। "अत्यधिक इकट्ठे" शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है ये स्पष्ट कर देना चाहिये ताकि आयोग अंधेरे में न रहे। आप इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री ह० च० सौय : अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ नम्बर ८ पर मेरा अमेंडमेंट नम्बर ५२ है। मैं नहीं चाहता था कि यह अमेंडमेंट दूं लेकिन जो पिछला सेंसश हुआ और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि उस में गड़बड़ रही और जहां एक इलाके में यही लोग ट्राइब्स की गिनती में आता है तो दूसरे इलाके में ट्राइब्स की गिनती में नहीं आता है। मैं यह चीज़ सैंशस कमिश्नर के डिसरिस्पैक्ट के लिये नहीं कह रहा हूं मगर ऐसी चीज़ हो गयी है और कहीं नये सैंशस के मुताबिक यह रिजर्व सीट्स कम न हो जायें इसीलिये मैंने अपना यह अमेंडमेंट दिया है। मैं नहीं चाहता कि रिजर्वड सीट्स कम हों। अभी जो भी प्रतिनिधित्व शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स को दूसरे लेजिस्लेचर्स में मिलता है वह काफी काम देते हैं। यह ठीक है कि इसी सदन में श्रीमती राय जी, ढेबर भाई और अन्य और कायदे माननीय सदस्य, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में काफी दिलचस्पी लेते हैं और जब भी उनका मसला हाउस में आता है तो उस में काफी भाग लेते हैं और दिलचस्पी दिखलाते हैं मैं यह तो नहीं कह सकता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० च० सौय]

कि दूसरे मेम्बर्स की उन में दिलचस्पी नहीं है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इन लोगों की सारी बातों पर जिस जोर और जोश से जाना चाहिये उसके लिये जरूरी है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंम्बर रहें। जब हमने कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने के लिये १० साल का एक्सटेंशन दे दिया है तो मैं यह अवश्य चाहता हूं कि जो विशेष प्रतिनिधित्व मिल सकता है वह बराबर मिलना जारी रहे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुये मैंने यह अमेंडमेंट दिया है। एक दूसरे माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट नम्बर ५१ पेश की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे क्षेत्र भी हैं पहाड़ी इलाकों में, जो कि कम्यूनिकेशन्ज़ वगैरह की दृष्टि से बिल्कुल इनएक्सीसीबल हैं। मेरा भी जिला ऐसा है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों से भरा पड़ा है और ऐसा लगता है कि वहां की एक एक एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सी की लम्बाई चौड़ाई दूसरे इलाका की लोक सभा की कांस्टीट्युएन्सी के बराबर है। अमेंडमेंट नम्बर ५१ के पीछे जो यह ख्याल है कि इनएक्सेसीबल पहाड़ी इलाकों में एक मिनिमम पापुलिशन फिक्स की जाये, मैं उस का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में जरूर इस बात का ख्याल रखा जाये और वहां पर एक मिनिमम पापुलेशन फिक्स की जाये, जो कि दूसरी जेनरल कांस्टीट्युएन्सीज़ के नम्बर से थोड़ी कम हो।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अमेंडमेंट नम्बर ५१ का नोटिस दिया है, जिस के जरिये मैं क्लाज़ ८ के प्रोवाइज़ों के साथ ये शब्द जोड़ना चाहता हूं :—

> "किन्तु विधान सभा के लिये ये समता नियत करने में यह अगम्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिये निम्नतम जनसंख्या निश्चित करेंगी।"

जैसा कि मैंने पहले भी इस माननीय सदन के सामने अर्ज किया है, जितने भी इनएक्ससीबिल हल्ली एरियाज़ हैं, उन की पापुलेशन की डेन्सिटी बहुत थोड़ी है और उन का एरिया बहुत ज्यादा है। अगर उन इलाकों में एसेम्बली सीट्स बनाते वक्त कोई मिनिमम पापुलेशन न रखी जाये, तो आदमी के लिये इतने बड़े एरिया को कवर करना बहुत कठिन हो जाता है। जहां तक रास्तों का सम्बन्ध है, अगर नजदीक के रास्ते हैं भी, तो वे सोलह हजार, अठारह हजार और बीस हजार फीट की बुलन्दी पर हैं और परपेटुअल स्नोलाइन पर वाके हैं।

चाहे यू० पी० का पहाड़ी इलाका हो और चाहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश का, और अगर कल को जम्मू-काश्मीर पर भी यह कानून लागू होता है, तो चाहे वहां का लद्दाख का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्र साथ लगते हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इन पहाड़ी इलाकों के लिये कोई न कोई उसूल बना लेना चाहिये। जहां वह बाकी कांस्टीट्युएसीज़ के लिये इन्टेग्रल मल्टीपल्ज फिक्स करता है, वहां उस को बिल्कुल इनएक्सेसीबल पहाड़ी एरियाज़ के लिये एक कम से कम पापुलेशन रखनी चाहिये। पार्लियामेंटरी कांस्टीट्युएन्सी की जो बाकी पापुलेशन रह जाये, उसको बाकी की एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सीज़ में बांट दिया जाये।

मैं आप के सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। १९५२ के डीलिमिटेशन कमीशन में यह वाकया आया था। कुल्लू की कांस्टीट्युएन्सी कांगड़ा की एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सी से बिल्कुल जुदा है। अगर हम को जाना पड़ा है, तोसौ मील तक कोई कनेक्शन नहीं है, क्यों कि बीच में हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहां पर देखा गया है कि आबादी कितनी है। कांगड़ा की पार्लियामेंटरी कास्टीट्युएन्सी साढ़े सात लाख की पड़ती थी। अगर सात कांस्टीट्युएन्सीज़ को तक्सीम किया जाता, तो एक एक लाख की कांस्टीट्युएन्सी बनती थी। उस डीलिमिटेशन कमीशन ने उस उसूल को मन्जूर किया और उन्होंने ७५,००० की एक एक कांस्टीट्युएन्सी कुल्लू में बनाना मन्जूर कर लिया।

उस में फिर यह सवाल पैदा हो गया कि उस वक्त कुल्लू, लाहौल और स्पिती की आबादी १,४४,००० थी। इलैक्शन कमीशन ने कहा कि इस को कैसे पूरा किया जाये, हम ७५,००० से कम नहीं बनायेंगे। तो उन्होने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का छः हजार की पापुलेशन वाला कोठी कोड़ और कोठी सवाड़ का इलाका, जो कि बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल के नाम से मशहूर है, वहां से ले लिया और कुल्लू एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सी में जोड़ दिया और फिर कांस्टीट्युएन्सी बनाई।

इस का नतीजा यह हुआ कि हालांकि तीन इलैक्शन हो चुके हैं, लेकिन कुल्लू के मेंम्बर ने वहां आ कर वहां की हालत नहीं पूछी। अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि वे लोग बायकाट करने की सोच रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले इलेक्शनन्ज़ के वक्त यह हालात पैदा हो गई थी कि उन लोगों ने कहा कि हम मंगोलियन ट्राइब्ज़ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम तो तिब्बत में जाते हैं। ऐसे हालात में महज़ उसूलों पर ही नहीं चलना चाहिये, बल्कि लोगों के जजबात का ख्याल कर के काम करना चाहिये। हिन्दुस्तान से अलग हो कर तिब्बत में शामिल होने के ख्यालात उन लोगों में पैदा हो गए। अगर सरकार हिन्दुस्तान की अखंडता को कायम रखना चाहती है, तो उस को ऐसे हालात नहीं पैदा होने देने चाहिये और लोगों की भावना का आदर करना चाहिये।

मैंने १९६१ की सैंन्सस की रिपोर्ट देखी है। कुल्लू, लाहौल और स्पिती की आबादी बजाते-खुद डेढ़ लाख से ऊपर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि कुल्लू, लाहौल और स्पिती के लोगों के लिये दो कास्टीट्युएन्सीज़ जुदा बनाई जायें और कांगड़े का हिस्सा उस में शामिल न किया जाये। पार्लियामेंटरी कांस्टीट्युएन्सी की जो बाकी आबादी बच जाती है, उस को असेम्बली की पांच कांस्टीट्युएन्सीज़ में बांट देना चाहिये। सरकार को ऐसी नीति अख्त्यार करनी चाहिये कि इस किस्म के ख्यालात वहां के लोगों में पैदा न हों कि हमारे साथ अच्छा वर्ताव हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट को इस माननीय सदन के सामने पेश करता हूं।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : मैं श्री कामत की इस बात से सहमत हूं कि अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये आरक्षण समाप्त होना चाहिये किन्तु हमारे मन में से भी यह बात जानी चाहिये कि वे वे हम में से नहीं हैं। अतः इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहिये कि वे हमारे ही अंग हैं।

वर्तमान जनगणना के अनुसार मेरे जिले में इन जातियों की जनसंख्या २० या २२ प्रतिशत से २ प्रतिशत घट गई है क्यों क कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। किन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। माननीय मन्त्री को आश्वासन देना चाहिये कि इस सभा में या विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधान कम करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा।

धर्म परिवर्तन के बारे में मैं संविधान का उल्लेख करूंगा जिसमें हिन्दू में सिख, जैन, बौद्ध धर्मों के लोग शामिल हैं। तथा धार्मिक प्रथा से सम्बन्धित किसी गतिविधि पर रुकावट नहीं लगाई जाएगी। अतः यदि हरिजन बौद्ध भी बन गये हैं, तो हमें इस बात को महसूस नहीं करना चाहिये। वे आखिर हम में से ही हैं।

अनुसूचित आदिम जातियां कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। देखा यह गया है कि निर्वाचन क्षेत्र बनाते समय आदिम जातियों के क्षेत्र कई निर्वाचन क्षेत्रों में मिला दिये जाते हैं। यह प्रयत्न ठीक नहीं। इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि आदिम जातियों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। विधि मन्त्री को इस बात का ध्यान निर्वाचन क्षेत्र बनाते समय रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : इसका इतना दायरा तो नहीं है। एक दूसरे को सुन कर कई मेम्बर साहब खड़े होने लगे हैं। कहिये, आपको क्या कहना है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इसमें जो उसूल बताये गये हैं, उनमें से कुछ उसूलों को वेग रखा गया है। मैं चाहता हूं कि इनको वेग न रखा जाए। ज्योग्रेफिकल कंटिगुअटी और कम्पैक्ट एरिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इसको मैंडेटरी कर देना बहुत जरूरी है, इसको कम्पलसरी कर देना बहुत जरूरी है।

जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की सीट्स का ताल्लुक है, जिस एरिया में जिस पार्लिामेंटरी कांस्टिट्युएंसी में वे आती हैं, उसको भी मैंडेटरी बना दिया जाना चाहिये। एज़ फार एज़ प्रैक्टिकल जब आप रख देते हैं तो उससे बहुत गड़बड़ होती है। इस चुनाव में जब बाइफरकेशन हुआ डबल मैम्बर कांस्टिट्युएंसीज़ को दो में बांटा गया, उस वक्त आम तौर पर देखने में आया है कि वह ठीक तरह से नहीं होता है। मैसूर में कर्नाटक में कूडलिपी और हरपनहल्ली कंस्टिट्युएंसी को अलग करते वक्त जहां पर हरिजन भाइयों की बहुत ज्यादा आबादी थी, उस ताल्लुके को छोड़ कर दूसरे ताल्लुके की सीट का रिजर्वेशन किया गया। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

एसोसिएट मैम्बर का जहां तक ताल्लुक है, वे जब नामिनेट होते हैं तब पार्टी की दृष्टि से न हों और जो लोग एबव-पार्टी पालिटिक्स होते हैं, उनको नामिनेट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मसावी तौर पर कांग्रेस दल और विरोधी दलों के लोगों को नामिनेट करना बहुत जरूरी है। जहां पर ज्यादा हरिजन भाई रहते हैं, उस सीट को रिज़र्व न करके जब दूसरी सीट को उनके लिये रिज़र्व कर दिया जाता है तो बहुत ज्यादा बेचैनी फैलती है.....

अध्यक्ष महोदय: एसोसिएट मैम्बर तो स्पीकर नामिनेट करता है। क्या आप स्पीकर की नुक्ता चीनी कर रहे हैं कि पार्टीबाजी से वह ऐसा करता है या सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : स्पीकर से मैं प्रार्थना कर सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आएं और जो मुझे आप हुक्म करेंगे, उसकी मैं तामील कर दूंगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : ज्योग्रेफिकल कम्पैक्टनेस का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरी कंस्टिट्युएंसी में ४०–५० मील दूर का एक ताल्लुका बेल्लारी में जोड़ दिया गया और इसकी इत्तिला तीन दिन पहले ही मिली और कहा गया कि एक एम० एल० ए० यहां से और चुना जाएगा। इसको लेकर बहुत झगड़ा हुआ। मामला ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। मेरा कहना यह है कि तहसील और जिला को यूनिट माना जाए और जहां पर ज्यादा हरिजन आबादी है, उस इलाके को प्रेफ्रेंस देकर, उसको हरिजन सीट घोषित किया जाए न कि इस तरह से शब्द रखे जायें कि एज़ फार एज़ प्रैक्टिकल। एज़ फार एज़ पासिबल के नाम पर दूसरी कंस्टिट्युएंसीज़

रिजर्व सीट जब बनाया जाता है, तो इसका मैं विरोध करता हूं। जो उसूल बताये गये हैं, ये मैंडेटरी होने चाहियें।

श्री रा० शि० पाँडेय (गुना): अध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन के सम्बन्ध में जो यहां पर प्राविज़न रखा गया है, यह बहुत ठीक है। श्री कामत ने जो कुछ कहा है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। क्यों ठीक है, इसको मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं। लेकिन डैमोक्रेसी के नीचे जो एक सोशल फैनेटेसिज्म है जो हमारे दिलों और दिमागों में रहता है, उसे हमें दूर करने की कोशिश करनी है और ऐसी कोशिश इसमें की गई है। हरिजन और आदिवासी लोग कैसे हैं? वे वे लोग हैं जो पिछड़ गए हैं। इस पोलिटिकल मीडियम से हम आदिवासी और हिरजन लोगों को यह मौका देंगे कि वे अपने आपको कैंडीडेट के तौर पर पेश करें और अपने आप को इलैक्ट करवायें। यह ठीक हो सकता है कि उनको वोट कम मिलते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी कांस्टिट्युएंसी में जो हरिजन सीट है, वहां पर जो वोटिंग का परसेंटेज है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। वह सवर्ण सीटों से किसी भी तरह से कम नहीं है। यह चीज़ बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि जो कैंडीडेट होता है, हरिजन या आदिवासी, जब वह चुना जाता है तो चुने जाने के बाद वह कैसा काम करता है। जब वह एम० पी० या एम० एल० ए० बन जाता है तो उसके काम का एक बैरोमीटर होता है। जब उसका काम अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि वह हरिजन या आदिवासी है। हमारी कांस्टिट्युएंसी में जो हरिजन कैंडीडेट था वह तीन बार इलैक्ट हुआ और आठ जो सीटें थीं, उनमें सबसे ज्यादा वोट वहां पड़े। जो क्राइटीरियन है वह काम है।

जहां तक डेमोक्रेसी का सम्बन्ध है, ठीक ही कहा गया है कि इसके जो फंडेमेंटल्ज़ हैं वे बड़े वैल्यूएबल हैं, उसके आबजैक्ट्स बड़े सेलियेंट हैं। वे सब पूरे होने चाहियें। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को जो मौका कांस्टीट्यूशन में दिया गया है वह इसलिये दिया गया है कि वे लोग एक बार दूसरों के बराबर आ जाएं और जब ऐसा हो गया तो कोई मतभेद नहीं रह जाएगा, कोई मैंटल रिजर्वेशन नहीं रह जाएगा। तब इस तरह की किसी चीज़ को जारी रखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। दस बरस के बाद पार्लियामेंट सोचेगी कि ये उस लेबेल पर आए हैं या नहीं हैं और तब फैसला करेगी कि इनके लिये जो रिप्रिजेंटेशन रखा गया है, इसको स्थगित किया जाए या इसको जारी रखा जाए।

जहां तक लार्ज नम्बर की बात है, लार्ज नम्बर का मतलब होता है ज्यादा नम्बर। जिस कांस्टिट्युएंसी को नेबरिंग कांस्टिट्युएंसी में दिया जाएगा जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का परसेंटेज ज्यादा होगा और उसको उनके लिये रिजर्व कर दिया जाएगा तो एक प्रकार का इम्पीटस, एक प्रकार का उत्साह पैदा होगा। यह बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन की बात भी बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ कांस्टिट्युएंसी बनाने के सम्बन्ध में लार्ज नम्बर की जो बात है, वह भी ठीक है जहां पर इनकी आबादी ज्यादा हो, वह कांस्टिट्युएंसी इनको दे दी जाए, यह भी बिल्कुल ठीक है।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र**: जहां तक संशोधन संख्या १६ का सम्बन्ध है यह उपबन्ध करना चाहता है कि अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र वहां हों जहां उन लोगों की प्रतिशतता ३० से अधिक है। यह संभव नहीं क्योंकि ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जहां उनकी जनसंख्या ३० प्रतिशत से कम होने पर भी निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। अतः इसे विधेयक का अंग नहीं बनाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

संशोधन संख्या २० यह उपबन्ध करना चाहता है कि अनुसूचित आदिम जाति निर्वाचन क्षेत्रों को बदलने का सिद्धान्त होना चाहिये ताकि ये निर्वाचन क्षेत्र राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र में बांटे जायें और जो सिद्धान्त अनुसूचित जातियों पर लागू होता है वह इन पर भी लागू किया जाए। मैंने जब विधेयक पुरःस्थापित किया था तब इस का जवाब दिया था। क्योंकि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि अनुसूचित जाति के लोग तो पूरे स्थान में बिखरे होते हैं परन्तु अनुसूचित आदिम जातियां केन्द्रीभूत क्षेत्र में रहती हैं। अतः यह उचित समझा गया है कि इन आदिम जातियों के लिये स्थान निर्धारित किये जाने पर ये स्थान वहां होंगे जहां उनकी संख्या अधिकतम है। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जानियों दोनों पर एक ही सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ४९ और ५० केवल शुद्धि करने के लिये हैं।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : संशोधन संख्या ४७ है कि पृष्ठ ४, पंक्ति ३ में "order" आदेश के स्थान पर "one or more final orders"एक या अधिक अन्तिम आदेश रखा जाए।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आदेश के लिये या तो "एक या अधिक अन्तिम आदेश" हो या "एक या अधिक आदेश।"

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : एक वचन में बहुवचन आ जाता है। यही परिभाषा सामान्य खण्ड अधिनियम में दी हुई है। अतः 'आदेश' शब्द के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कानून लिखा जाता है, क्योंकि सामान्य खण्ड अधिनियम के अनुसार, निर्वचन खण्ड के अन्तर्गत एक वचन में बहुवचन शामिल है। अतः एक या अधिक आदेशों को विशिष्ट रूप से लिखना निरर्थक है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि माननीय मंत्री को अंग्रेज़ी का कुछ ख्याल है तो उन्हें संशोधन संख्या ४९ और ५० स्वीकार करनी चाहिए।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : श्री कामत ने १९५२ अधिनियम में कुछ नुक्स निकाला है और कहा कि १९५२ अधिनियम की अंग्रेज़ी में कुछ नुक्स था। यह भाषा संविधान में से ली गई है। इस सम्बन्ध में मैं अनुच्छेद ८२ की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसमें परिसीमन आयोग के कर्त्तव्य बताए गए हैं। विधेयक के पूरे नाम में वही भाषा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : १९५२ अधिनियम की भाषा भिन्न थी।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : १९५२ अधिनियम की भाषा भिन्न है, क्योंकि पहले अनुच्छेद ८२ अनुच्छेद ८१ के खण्ड ३ में था जो कि बाद में संशोधित कर दिया गया है। अतः वह अधिनियम मूल खण्ड के भाषा भी अनुसार था।

मैं संशोधन संख्या ५० स्वीकार करता हूं।

चूंकि किसी निर्वाचन क्षेत्र का अधिकतम और न्यूनतम नहीं निर्धारित किया जा कता, अतः श्री हेमराज की संशोधन संख्या ५१ को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक संशोधन संख्या ५२ का सम्बन्ध है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की संख्या कम करने के लिए कोशिश करने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था करना कि किसी भी अवस्था में यह कम नहीं की जाएगा संविधान की अनुच्छेद ३३० और ३३२ का उल्लंघन होगा, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को लीए सीटों की संख्या उन की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसका निर्धारण राज्य की कुल जन संख्या के अनुसार करना है। अतः इसका कुछ अनुपात होना चाहिए । चूंकि इसका कुछ अनुपात होता है, अतः विधेयक में इस बात की व्यवस्था नहीं हो सकती कि कोई कमी नहीं होगी । अतः मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या ५० सरकार स्वीकार कर रही है । अतः मैं अब इसे मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ ४, पंक्ति ५, 'and' ("और") शब्द के बाद "the" ("दी") शब्द जोड़ दिया जाए । (५०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या ४७, ४८, ४९ और १७ को मतदान के लिए रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४७, ४८, ४९ और १७, मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या ५१ और ५२ को मतदान के लिए रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन संख्या ५१ और ५२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब खण्ड ९ को लेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या १८, १९, २०, २४, २५, ५४, ५७, ५८, ५९ और ६० प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं :—

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति ९,—

"places" (स्थानों) के बाद "in each State" ("प्रत्येक राज्य में") शब्द जोड़ दिए जाएं (२३)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिविष्णु कामत]

(२) पृष्ठ ५,–१२ और १३ पंक्तियों के स्थान पर निम्न रख दिया जाए––

"(ii) the delimitation of assembly constituencies of each State"

("प्रत्येक राज्य के विधान निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन") । (६१)

†**श्री ह० च० सौय :** मेरा संशोधन संख्या ५५ और ६२ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन का संशोधन संख्या ५५ श्री कामत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १९ की तरह है । अतः यह अग्राध्य है । वे संशोधन संख्या ६२ को प्रस्तुत करें ।

†**श्री ह० च० सौय :** मैं संशोधन संख्या ६२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीहेम राज :** मैं संशोधन संख्या ३७, ३८, और ५३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** संशोधन संख्या ५८ बहुत स्पष्ट है । यह तो मंत्री और सभा को स्वीकार करना चाहिए ।

संशोधन संख्या ५५ तो "जो उन का प्रकाशन चाहता हो" शब्दों के हटाने के बारे में है ।

संशोधन संख्या ६० १९५२ की अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार है । यह सदन और मंत्री को स्वीकार कर लेनी चाहिए।

मेरा अन्तिम संशोधन तो भाषा ठीक करने के उद्देश्य से है । अतः सदन को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**श्री ह० च० सौय :** मेरा संशोधन संख्या ६२ स्पष्ट है । मैं चाहता हूं कि परिसीमन आयोग के प्रस्तावों के प्रकाशन और उस पर आरोप सुनने की तिथि में अन्तर होना चाहिए । यदि इस अधिनियम के नियमों में इस की व्यवस्था की जाती है तो मैं संशोधन वापिस ले लेता हूं ।

†**श्री हेम राज :** खण्ड ९ को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये कि उसमें उल्लिखित प्रशासकीय एकक 'ब्लाक स्तर' शब्द जोड़ कर निर्दिष्ट कर दिया जाये । 'संचार साधनों' शब्द के पश्चात् 'दुर्गमता' शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए ।

खण्ड (ग) को भी "यदि उनको राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में ठीक प्रकार से विभाजित कर दिया जाये", शब्द जोड़ कर संशोधित किया जाना चाहिये । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के निर्वाचन क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विभाजन हो । इसके लिए मैंने संशोधन संख्या ३८ प्रस्तुत की है ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी:** निर्वाचन आयोग ने पिछले निर्वाचनों में बड़ा अच्छा काम किया है ।

निर्वाचन आयोग को मतदाताओं की कठिनाइयों एवं असुविधाओं पर भी विचार करना चाहिये । निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उसी आधार पर करना चाहिए ।

यह बहुत अच्छा होगा यदि अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित सीटें प्रत्यावर्तित की जाय । यह बात अनुसूचित जातियों के हित में होगी कि उन के मस्तिष्क से आरक्षण निकल जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र :** जहां तक संशोधन संख्या ३७ का सम्बन्ध है यह लिखना आवश्यक नहीं कि प्रशासनिक एकक की परिभाषा दी जाएगी और यह खण्ड स्तर तक हो जाए, क्योंकि जिला सब से बड़ा प्रशासनिक एकक है । निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में यह बात निर्वाचन आयोग पर छोड़ देनी चाहिए कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में कौन से प्रशासनिक एककों पर विचार किया जाना चाहिए ।

संशोधन संख्या ३८ संशोधन संख्या १९ और २० जैसी नहीं है ।

संशोधन संख्या ५३ के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने "संचार साधन" शब्द प्रयोग किया है । अतः "दुर्गमता" शब्द आवश्यक नहीं है । यदि वे संचार साधनों के प्रश्नों पर विचार करते हैं तो वे स्वभावतः इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्षेत्र तक पहुचना आसान है या दुर्गम ।

संशोधन संख्या ५८ आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक वचन में बहुवचन भी है ।

मैं संशोधन संख्या ५९ का विरोध करता हूं । यदि कोई सदस्य नहीं चाहता कि उस की विमति टिप्पण न छापा जाए तो उसे मजबूर क्यों किया जाए ।

संशोधन संख्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि "अन्तिम" शब्द आवश्यक नहीं है क्योंकि खण्ड १० इस बात से सम्बन्धित है कि खण्ड ८ और ९ में दिए गए आदेश से अन्तिम आदेश हैं । अतः खण्ड ९ में "अन्तिम" शब्द का लगाना आवश्यक नहीं है ।

संशोधन संख्या ६१ को स्वीकार करता हूं ।

मैं संशोधन संख्या २४ का विरोध करता हूं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। सारी व्यवस्था यह है कि सब सदस्य अवश्य भाग लें वे न तो हस्ताक्षर कर सकते हैं और न मत दे सकते है ।

आयोग किसी स्थान पर बैठक कर सकता है और यह सम्भव है कि उस राज्य के किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता न हो । मुझे इसे स्वीकार करने की कोई आपत्ति नहीं । "प्रत्येक राज्य में" ही होने दीजिए । मैं स्वीकार कर लूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार संशोधन संख्या २३ और ६१ को स्वीकार करने के लिए तैयार है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** संशोधन संख्या २४ की क्या स्थिति है ।

†**अध्यक्ष महोदयः** सरकार के अनुसार यह आवश्यक नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति ९,—

"Places" (स्थानों) के बाद "प्रत्येक राज्य में" शब्द जोड़ दिए जाएं । (२३)

(२) पृष्ठ ५,—१२ और १३ पंक्तियों के स्थान पर निम्न रख दिया जाए—

"(ii) the delimitation of assembly constituencies of each State."

("प्रत्येक राज्य की विधान निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन") (६१)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री कामत के अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८, १९, २०, २४, २५, ५४, ५७, ५८ ,५९ और ६० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या ३७, ३८ और ५२ को मतदान के लिए रखूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३७, ३८, और ५२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री सौय अपना संशोधन संख्या ६२ मतदान के लिए रखना चाहते हैं ।

†**श्री ह० च० सोय :** मुझे आशा है कि मंत्री महोदय रूल्स में इसका अवश्य खयाल रक्खेंगें और इस लिए मैं अपना अमेंडमैंट वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति है ।

†**कई माननीय सदस्य :** हां ।

संशोधन संख्या ६२ अनुमति से वापिस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ९, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ९, संशोधित रूप से विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १० (आदेशों का प्रकाशन और उनक लागू होने की तिथि)

†**श्री हरिविष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या ६४ को प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं :—

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति १८,—

"full" ("पूर्ण") शब्द हटा दिया जाए (६३)

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति ३७,—

"Order" ('आदेश") शब्द के बाद 'or orders' (अथवा आदेशों) शब्द जोड़ दिए जाएं (६५)

संशोधन संख्या ६३ एक आसान संशोधन है "पूर्ण" शब्द फजूल है ।

संशोधन संख्या ६४ निर्वाचनों से संबंधित है और इस व्यवस्था के स्पष्टार्थ का पता नहीं है । मेरा संशोधन स्वीकार करने से यह स्पष्ट हों जायेगा कि आदेश सामान्य उप चुनावों पर लागू होंगे, चुनावों पर नहीं । अगले सामान्य चुनावों से पहल उपचुनावों के निर्वाचनक्षेत्र भी बदलने चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तिम संशोधन तो भाषा ठीक करने के लिये है।

तीनों संशोधन उचित है और सीधे हैं। अतः माननीय मंत्री और सभा को मान लेने चाहियें।

†श्री विभुधेन्द्र मिश्र : "पूर्ण" शब्द तो इस लिए प्रयोग किये गए है क्योंकि ये १९५१ से अधिकतर अधिनियमों में प्रयोग में लाये गये हैं।

†अध्यक्ष महोदय : इस का कोई मतलब नहीं है। कानून की शक्ति तो कम होती है।

†श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसे हटाने से कोई अन्तर नहीं होता इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

जहां तक "परन्तु उपचुनाव पर नहीं" के जोड़ने का सम्बन्ध है यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान की व्यवस्था स्पष्ट है। जो व्यवस्था खण्ड १० का उपखंड (५) लागू करना चाहता है, वह संविधान का अनुच्छेद ८१ है। यह तो अनुच्छेद ८१ और १७० का नकल है अगले चुनावों मे पहले किसी भी चुनाव पर इस आदेश के लागू होने का प्रश्न नहीं उठता।

संशोधन संख्या ६३ और ६५ स्वीकार है, ६४ नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति १८,—

("पूर्ण") शब्द हटा दिए जाएं (६३)

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति ३७,—

"order" ("आदेश") शब्द के बाद "or orders" ("अथवा आदेशों") शब्द जोड़ दिए जाएं। (६५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६४ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

कि खंड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ११ (परिसीमन आदेशों को अघतर रखने के लिए शामिल)

श्री हरि विष्णु कामत : में संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं:—

पृष्ठ ६, पंक्ति १० के बाद निम्न जोड़िये

"( ) Every such notification shall be laid before the House of the People and the Legislative Assemblies of the States concerned"

(प्रत्येक ऐसी अधिसूचना लोक-सभा और सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाओं को प्रस्तुत की जाएगी) (२६)

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विभूतेन्द्र मिश्र : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं। मैं एक मौखिक संशोधन लाता हूं। सभा की अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ६, पंक्ति १० के बाद, निम्न जोड़िये—

(c) Every notification under this section shall be laid as soon as may be after it is issued before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned."

(इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाने के यथा सम्भव शीघ्र बाद लोक-सभा और सम्बन्धित राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी) (२६)

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ ६, पंक्ति १० के बाद, निम्न जोड़िये–

"(c) Every notification under this section shall be laid as soon as may be after it is issued before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned."

(इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाने के यथासम्भव शीघ्र बाद लोक-सभा और सम्बन्धित राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी) (२६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

†श्री विभूतेन्द्र मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य की नजरबन्दी

†अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक सभा को बताना है कि मुझे मद्रास सरकार से सूचना मिली है कि लोक-सभा के सदस्य श्री आर० उमानाथ को, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता को धारा १५१ के अधीन २१ नवम्बर, १९६२ को तिरुविरापल्ली में हिरासत में लिया गया था भारत की प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत नजरबन्द कर लिया गया है ताकि वे भारत की प्रतिरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अहितकर कोई काम न कर सकें।

†श्री रंगा : मेरा विचार था कि जब अधिवेशन जारी हो तो सदस्यों को नजरबन्द नहीं किया जाएगा।

†अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक फौजदारी कानून का सम्बन्ध है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

उसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९६२/१३ अग्रहायण, १८८४ (शक) के १२ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, ३ दिसम्बर, १९६२

१२ अग्रहायण, १८८४ (शक)

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना १७२१—२६

(एक) श्री एस० एम० बनर्जी ने असम और पूर्वोत्तर सीमान्त ऐजन्सी (नेफा) में चीनी जासूसों का जाल बिछे होने के कथित समाचार की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

(दो) श्री राम सेवक यादव ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के इति-हास विभाग के निर्देशक डा० एस० गोपाल पर किये गये कथित आक्रमण की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १७२१

सचिव ने ८ नवम्बर, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखा:—

विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६२।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . १७२६—२७

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री श्री दिनेश सिंह ने तीसरे परमाणु बिजली-घर के स्थान के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक उपस्थापित . . . . १७२८—३१

(१) दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण, विधेयक, १९६२।

(२) व्यक्तिगत-घाव (आपात-कालीन उपबन्ध) विधेयक, १९६२।

(३) भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६२।

विधेयक पारित १७३१—७०

३० नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गय परिसीमन आयोग विधेयक, १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधेयक खंडवार विचार के पश्चात संशोधित रूप में पारित किया गया ।

सदस्य की नजरबन्दी के बारे में सूचना १७७१

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि उन्हें मद्रास सरकार से सूचना मिली है कि लोक सभा के सदस्य श्री उमानाथ को जिन्हें दंड प्रक्रिया सहिता की धारा १५१ के अधीन २१ नवम्बर, १९६२ को तिरुचिरापल्ली में हिरासत में लिया गया था भारत की प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के नियम ३० के अधीन नजरबंद किया गया है और कुड्डूलर की सेंट्रल जेल में रखा गया है ।

मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९६२/१३ अग्रहायण, १८८४ शक के लिये कार्यावलि

उपहार कर संशोधन विधेयक, १९६२ पर विचार और उसका पारित किया जाना तथा करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार ।

GMGIPND—LS III—2419 (Ai) LSD—10-1-63—140.

श्री मान सिंह पृ० पटेल १७४५
श्री विभुधेन्द्र मिश्र १७४५
खण्ड २ से ११ और १ . . . . . १७५१–७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव
श्री विभुधेन्द्र मिश्र :
सदस्य की नजर बन्दी १७७१
दैनिक संक्षेपिका १७७२–७३

PLS. 41. X. 19. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।